राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही

राजस्थान विधान सभा के प्रथम आय-व्ययक सत्र की कार्यवाही

पंचम बैठक, शुक्रवार, दिनांक ४ अप्रेल, १९५२ ई०

सभा की बैठक आज तारीख ४ अप्रेल, सन् १९५२ ई० को सवाई मानसिंह टाउन हॉल, जयपुर में ८ बज, कर ४५ मिनिट पर प्रारम्भ हुई। अध्यक्ष (माननीय श्री नरोत्तमलाल जोशी) अध्यक्ष-पद पर आसीन।

शपथ व प्रतिज्ञान ग्रहण

माननीय अध्यक्षः—

वे सदस्य जिन्होंने अभी तक संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण न किया हो, अब ऐसा करेंगे।

(विराम)

माननीय अध्यक्षः—

आज की कार्य-सूची में थोड़ा परिवर्तन इसलिये होगा कि सदन के नेता, श्री टीकाराम पालीवाल, राज्य-कार्य के कारण, एक घंटे पश्चात् आवेंगे। अतः आज की कार्य-सूची में विधान संबन्धी दिये गये कार्य को पहिले लिया जाएगा।

राजस्थान सार्वजनिक अभियाचन प्रत्यादान (मांगों की पुनः प्राप्ति) (संशोधन) विधेयक, १९५२।

माननीय अध्यक्षः—

अब माननीय श्री रामकिशोर व्यास यह प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सार्वजनिक अभियाचन प्रत्यादान, (मांगों की पुनः प्राप्ति) अधिनियम, १९५२ का संशोधन करने के विधेयक (बिल) को विचारार्थ लिया जाय।

माननीय श्री रामकिशोर व्यासः—

माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी (राजस्थान सार्वजनिक अभियाचन प्रत्यादान) (मांगों की पुनः

प्राप्ति) अधिनियम, १९५२ का संशोधन करने विधेयक (बिल) को विचारार्थ लिया जाए। इस विधेयक (बिल) का उद्देश्य कुछ भाषा संबन्धी उन्नति तथा इसमें शब्दों में इधर उधर तबदीली करना है-जैसा कि इसके उद्देश्य में लिखा है। इसमें बताया गया है कि फरवरी, सन् १९५२ में राष्ट्रपति महोदय की सम्मति से यह पास हुआ। उसके बाद यह महसूस किया गया कि इसकी भाषा में रद्दोबदल हो। कुछ शब्दों में परिवर्तन हो सकता है इसलिये शब्दों को इधर उधर रखने के लिये संशोधन विधेयक (बिल) विचारार्थ पेश किया जाता है।

माननीय अध्यक्षः—

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि:—

"राजस्थान सार्वजनिक अभियाचन प्रत्यादान (मांगों की पुनः प्राप्ति अधिनियम, १९५२ का संशोधन के विधेयक (बिल) १९५२ को विचारार्थ लिया जावे।

माननीय श्री रामकिशोर व्यासः—

इस विधेयक पर अगर कोई अपने विचार प्रकट करना चाहें, तो प्रकट कर सकते हैं।

श्री गोपीलाल यादवः—

अध्यक्ष महोदय, इस एमेन्डमेन्ट (संशोधन) में जिस एक्ट का जिक्र किया गया है वह फरवरी सन् १९५२ में पास हुआ है। वह मेम्बर्स को वितरित नहीं किया गया है। जब तक इस एमेन्डमेन्ट (संशोधन) बिल के साथ वह अधिनियम न हो तब तक उस पर विचार करना या राय जाहिर करना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। इसलिये इस पर विचार होने से पहले मैं यह चाहता हूं कि मूल अधिनियम जो कि पास हो चुका है, सदन के मेम्बरों को बंटवा दिया जावे।

माननीय श्री रामकिशोर व्यासः—

इसका ओरिजिनल एक्ट (मूल अधिनियम) राजपत्र में पहले छप चुका है; लेकिन फिर भी सदस्यों के देखने के लिए उसे लोबी (सभा कक्ष) में रखा जा सकता है और आप लोग वहां उसका मुलाहिजा कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्षः—

यह केवल शब्दों का संशोधन है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। अगर फिर भी आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं।

श्री जसवन्तसिंह:—

श्रीमान् अध्यक्षजी, जहां तक संयुक्त दल का विचार है, यह एक मामूली बिल है, और इसमें जैसा कि आपने अभी फरमाया था, कि २–४, शब्दों का हेरफेर है और कोई महत्व की तब्दीली नहीं की गई है, और अगर कोई माननीय सदस्य इस बिल को देखना चाहते हैं तो वे लोबी (सभा कक्ष) में देख सकते हैं और आयन्दा मौका पड़े तो गवर्नमेंट (सरकार) को तरमीम भी सुझा सकते हैं। ऐसी दशा में यदि फिजूल इस सभा का काम नहीं रोकना है तो इस संशोधन को तो; क्योंकि हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर इसी हालत में पास कर दिया जाय।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—

अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह अनुमति समझूं कि इस बिल को क्लाज बाई क्लाज (खंडश:) लेकर पास किया जाय।

श्री जसवन्तसिंह:—

मेरा इस संबन्ध में आपसे निवेदन यह है कि माननीय मंत्रीजी को इसकी तकलीफ करने की आवश्यकता नहीं है। मामूली तौर पर इस तरह के कानूनों में अध्यक्षजी आपही उनको बोल दें और हाउस उसको पास करदे तो उसमें सहूलियत ही हो।

माननीय अध्यक्ष:—

प्रश्न यह है कि:—

राजस्थान सार्वजनिक अभियाचन प्रत्यादान (मांगों की पुन: प्राप्ति) अधिनियम १९५२ का संशोधन करने के विधेयक १९५२ को विचारार्थ स्वीकृत किया जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

माननीय अध्यक्ष:-

अब क्लाज बाई क्लाज (खंडश:) इसको लिया जाता है।

प्रश्न यह है कि:—राजस्थान सार्वजनिक अभियाचन प्रत्यादान, (मांगों की, पुन: प्राप्ति) अधिनियम १९५२ का संशोधन करने के विधेयक के क्लाज (खंड) २ को जो कि इस प्रकार है:—

"2. **Amendment of Section 1.**: —For section 1 of the Rajasthan Public Demands Recovery Act, 1952 (V of 1952), hereinafter referred to as the Principal Act, the following shall be and be

deemed always to have been substituted, namely:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Rajasthan Public Demands Recovery Act, 1952.

2. It extends to the whole of Rajasthan.

3. It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Rajasthan Gazette, appoint".

इस बिल (विधेयक) का अंग स्वीकार किया जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

उपर्युक्त खंड २ को इस बिल (विधेयक) का अंग स्वीकार किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष:-

अब प्रश्न यह है कि:—

राजस्थान सार्वजनिक अभियाचन प्रत्यादान (मांगों की पुन: प्राप्ति) अधिनियम १९५२ का संशोधन करने के विधेयक (बिल) के खण्ड ३ जो कि इस प्रकार है:—

"**3. Amendment of Section 7.**—In clause (a) of section 7 of the principal Act, after the words "local limits of" the words "the jurisdiction of" shall be and be deemed always to have been inserted".

को इस बिल का अंग स्वीकार किया जाता है।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

माननीय अध्यक्ष:-

अब प्रश्न यह है कि:—

राजस्थान सार्वजनिक अभियाचन प्रत्यादान (मांगों की पुन: प्राप्ति) अधिनियम १९५२, का संशोधन करने के विधेयक (बिल) के खण्ड ४, जो कि इस प्रकार है,

"**4. Amendment of Section 8.**—In section 8 of the principal Act:-

(i) In sub-section (1) for the words "the same" the

words "the notice" shall be and be deemed always to have been substituted,

(ii) For sub-section (2), the following shall be and be deemed always to have been substituted, namely;

'(2) A Collector to whom, a petition has been presented under sub-section (1) shall forward such petition to the officer or authority charged with the realisation of the public demand for disposal.

Provided that, where the certificate has been transmitted to such Collector under section 5, he shall forward the petition presented to him under sub-section (1) to the officer or authority referred to above through the Collector in whose office the certificate has been originally filled"; and

(iii) In sub-section (3), for the word 'who' occurring after the word 'Collector' the following shall be and be deemed always to have been substituted, namely:-

'In whose office the certificate has been originally filed, and, where the petition has been forwarded to such officer or authority by a Collector to whom the certificate has been transmitted under section 5, to such Collector also; and the Collector in whose office the certificate has been originally filed."'

को इस बिल (विधेयक) का अंग स्वीकार किया जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

माननीय अध्यक्ष: —

इस उपर्युक्त खण्ड ४ को इस विधेयक का अंग स्वीकार किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष: —

प्रश्न यह है कि:—

राजस्थान सार्वजनिक अभियाचन प्रत्यादान, (मांगों की पुन: प्राप्ति) अधिनियम १९५२ का संशोधन करने के विधेयक के खण्ड ५ जो कि इस प्रकार है:—

"5. **Amendment of section 22** —In section 22 of the principal Act, the words 'of the lowest grade' shall be and be deemed always to have been omitted".

को इस बिल (विधेयक) का अंग स्वीकार किया जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

उपर्युक्त धारा ५ को इस बिल का अंग स्वीकार किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष:—

प्रश्न यह है कि:—

राजस्थान सार्वजनिक अभियाचन प्रत्यादान (मांगों की पुन: प्राप्ति) अधिनियम १९५२ का संशोधन करने के विधेयक की धारा ६ जो कि इस प्रकार है:–

"**6. Amendment of section 29.**—In section 29 of the Principal Act:—

(i) In sub-section (1)

(a) Between the words 'Government may' and 'make rules' the words 'by notification in the Rajasthan Gazette' shall be and be deemed always to have been inserted, and

(b) The words 'not inconsistent with the provisions of this Act' shall be and be deemed always to have been omitted; and

(ii) Sub-section (3) shall be and be deemed always to have been omitted."

को इस बिल (विधेयक) का अंग स्वीकार किया जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

उपर्युक्त खण्ड ६ को इस बिल का अंग स्वीकार किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष:–

प्रश्न यह है कि:—

राजस्थान सार्वजनिक अभियाचन प्रत्यादान (मांगों की पुन: प्राप्ति) अधिनियम १९५२ का संशोधन करने के विधेयक (बिल) १९५२ के खण्ड ७, जो कि इस प्रकार है:–

"**7. Amendment of Section 31**— In section 31 of the principal Act,

(i) after the figures '1897' the brackets, figures and word

'(X of 1897)' shall be and be deemed always to have been added.

(ii) the words 'of the Central Legislature' shall be and be deemed always to have been omitted.

को इस बिल का अंग स्वीकार किया जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

उपर्युक्त खण्ड ७ को बिल का अंग स्वीकार किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष:---

प्रश्न यह है कि:—

राजस्थान सार्वजनिक अभियाचन प्रत्यादान (मांगों की पुनः प्राप्ति) अधिनियम १९५२ को संशोधन करने के विधेयक (बिल) १९५२ के खण्ड १ और प्रिएम्बल, (शीर्षक तथा प्रस्तावना) जो कि इस प्रकार है:—

1. Short Title.—This Act may be called the Rajasthan Public Demands Recovery (Amendment) Act, 1952.

THE RAJASTHAN PUBLIC DEMANDS RECOVERY (AMENDMENT) BILL 1952.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly.)

को इस बिल का अंग स्वीकार किया जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

धारा १ और प्रिएम्बल (शीर्षक तथा प्रस्तावना) इस बिल में जोड़ दिया जाय।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी (एमेन्डमेन्ट) बिल १९५२, [राजस्थान सार्वजनिक अभियाचन प्रत्यादान (मांगों की पुनः प्राप्ति) (संशोधन) विधेयक १९५२ को पास किया जाय।]

माननीय अध्यक्ष:---

(प्रस्ताव प्रस्तावित हुआ)

(विराम)

प्रश्न यह है कि:—

राजस्थान पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी (एमेन्डमेंट) बिल १९५२, राजस्थान सार्वजनिक अभियाचन प्रत्यादान (मांगों की पुनः प्राप्ति) (संशोधन) विधेयक,

१९५२ को पास किया जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

इस बिल (विधेयक) को पास किया गया ।

राजस्थान वन विधेयक, १९५२

माननीय अध्यक्ष:---

माननीय श्री अमृतलाल यादव यह प्रस्ताव करेंगे कि वनों (जंगलों) से संबन्धित विधि (कानून), वन–उत्पत्ति (जंगलों की पैदावार) के संक्रमण (ट्रान्जिट) तथा निर्माण काष्ठ (टिम्बर) एवं वन उत्पत्ति पर समाहरित (लगाये जाने वाले) शुल्क (ड्युटी) के संघनन (इकट्ठा करने) के विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

माननीय श्री अमृतलाल यादव:--

अध्यक्षजी, मैं राजस्थान फोरेस्ट बिल, १९५२ (राजस्थान वन विधेयक, १९५२) सदन के सामने विचारार्थ रखता हूं। इस संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि अभी तक राजस्थान में जो वन अधिनियम चालू हैं वे करीब करीब १२-१३ वन अधिनियम हैं, और उनमें से बहुत से इतने पुराने हैं, सन् १९१५ ई० सन् १९२७ ई० के हैं, कि वे आज की परिस्थिति के उपयुक्त नहीं मालूम होते हैं। जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है कि वनों का आजकल विशेष महत्व है, खास तौर से हमारे राजस्थान में इसका बड़ा महत्व है । वनों के विकास और उनके संरक्षण की हमें अत्यन्त आवश्यकता है। इसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक मालूम होता है कि राजस्थान के वनों के संबंधी एक ही अधिनियम सारे राजस्थान में लागू हों। उसके लिए मैं सदन के सामने यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष:---

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि:---

राजस्थान वन विधेयक, १९५२, को सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

श्री जसवन्तसिंह:--

अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बिल की आवश्यकता हमें भी महसूस होती है और यह जरूरी है कि जो अलग अलग तरह तरह के एक्ट (अधिनियम) फोरेस्ट (वनों) के बारे में इस समय हैं, उनके स्थान पर एक ही एक्ट (अधिनियम) लागू हो क्योंकि ये पुराने एक्ट (अधिनियम) आउट ओफ डेट (पुराने) हो गये हैं। प्रस्तुत बिल इतने महत्व का है कि मेरे खयाल में यदि इसे सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के सुपुर्द कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा क्योंकि जल्दी जल्दी में ड्राफ्ट बनाने

में संभव है, कुछ त्रुटियें या खामियें रह गई हों और इनकी पूर्ति सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) में हो सकती है। यदि मेरा प्रस्ताव स्वीकृत कर लें तो उसके बाद में सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के सदस्यों के नाम प्रस्तुत करूंगा।

श्री तेजमल बापनाः—

अध्यक्ष महोदय, जो आपत्ति वाम पक्ष के नेता ने उठाई है, उसके साथ साथ यदि वे उक्त बिल में रहने वाली खामियों व कमियों का बयान करके फिर इसे सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के सामने रखने का सुझाव रखते तो अच्छा होता। इसलिये इसके पहले कि इसे सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) में भेजा जाय मैं निवेदन करुंगा कि पर्टिकुलर (डिफेक्ट्स) खामियां, ओमिशन्स (छूटें) आदि बतायी जावें।

माननीय अध्यक्षः--

यह आपत्ति नहीं है, यह तो उनका सुझाव है।

माननीय अमृतलाल यादवः--

और कोई माननीय सदस्य इसके बारे में बोलना चाहें।

माननीय अध्यक्षः--

आप कहिये कि आपको इस बिल को सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के सुपुर्द करना मंजूर है या नहीं?

माननीय अमृतलाल यादवः--

यदि यह विधेयक सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के सुपुर्द कर दिया जाय तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

(हिअर, हिअर)

अध्यक्ष महोदयः--

सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के सदस्यों के नाम बताइये।

श्री गुलाबचन्द कासलीवालः--

प्रस्तुत बिल के लिये जो सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) बनेगी उसके लिये मैं निम्नलिखित नाम उपस्थित करता हूं:--

१ श्री रोशनलाल
२ श्री हरिदेव जोशी

३ श्री बदरीलाल वकील
४ श्री रामदयाल
५ श्री श्रीदास गोयल
६ श्री बद्रीप्रसाद
७ श्री वेदपाल त्यागी
८ श्री दलीपसिंह

श्री जसवन्तसिंह:--

ये नाम जो माननीय सदस्य ने अभी बतलाये हैं, वे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं या सबके हैं?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:--

मैंने जितने नाम उपस्थित किये हैं वे सब कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के हैं।

श्री जसवन्तसिंह:-

संयुक्त दल की तरफ से मैं निम्नलिखित नाम पेश करता हूं:

१ श्री संग्राम सिंहजी
२ श्री हिम्मतसिंहजी
३ श्री हरदत्तसिंहजी
४ श्री सज्जनसिंहजी

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:--

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, बिजनेस रूल्स (कार्य-नियमावली) की धारा ८५ की ओर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के लिये १५ से तो कम सदस्य और २५ से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिये। इसलिये मैं और प्रार्थना करता हूं कि लीडर ओफ अपोजीशन (विरोधी दल के नेता) अपनी तरफ से और नाम पेश करेंगे।

श्री जसवन्तसिंह:-

और कितने नाम बाकी रह गये हैं।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:--

मैंने अपनी तरफ से आठ नाम दिये । हैं

श्री जसवन्तसिंह:-

मैं तीन नाम और पेश करता हूं, वे ये हैं:

श्री किशोरसिंहजी

२ श्री भैरूसिंहजी केलवा
३ श्री भैरूसिंहजी दांता रामगढ

श्री वेदपाल त्यागीः–

अध्यक्ष महोदय, बिजनेस रुल्स (कार्य नियमावली) की धारा ८५ के अनुसार सिलेक्ट कमेटी के अन्दर कुछ ऐसे पदाधिकारी भी होते हैं जो by virtue of their office (पदानुसार) इसके सदस्य होते हैं। मसलन डिप्टी स्पीकर, (उपाध्यक्ष) एडवोकेट जनरल। माननीय सदस्य, जिन्होंने कि यह विधेयक प्रस्तुत किया, इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वे इसका कोरम ५ होने का प्रस्ताव करें।

माननीय श्री अमृतलाल यादवः–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सिलेक्ट कमेटी के १५ से २५ तक सदस्य हो सकते हैं तो मैं समझता हूं कि पहले सदस्यों की संख्या का निर्णय हो जाय कि वे १५ होंगे या कितने होंगे इसके बाद कोरम नियत करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री गुलाबचन्द कासलीवालः–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस कमेटी के लिये दो नाम और उपस्थित करता हूं, वे ये हैंः–

१ श्री गोपीलाल यादव
२ श्री श्रीगोपाल भार्गव

माननीय अध्यक्षः–

यह भी निर्णय कर लें कि सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) द्वारा रिपोर्ट कब तक हाउस के सम्मुख रख दिया जाय।

श्री जसवन्तसिंहः–

मेरा इसमें यह प्रस्ताव है कि जो अगला सैशन (सत्र) विधान सभा का शुरू हो उसमें एक हफ्ते के पहले २ कमेटी (समिति) की रिपोर्ट हाउस (सदन) के सामने पेश करदी जाय।

श्री गोपीलाल यादवः–

अध्यक्ष महोदय, समय नियत करने से पहले, जैसा कि अपोजिशन के नेता ने कहा है, हमको यह जानना जरूरी है कि दूसरा अधिवेशन कब बुलाया जायगा?

अगर १५ दिन के बाद ही बुलाया जाता है तो उसको एक हफ्ते पहले हाउस (सदन) में रखना सम्भव नहीं होगा।

श्री जसवन्तसिंह:—

अधिवेशन शुरू हो जाने के एक हफ्ते के अन्दर अन्दर।

अध्यक्ष महोदय:--

अधिवेशन सम्भवतः सितम्बर के आस पास बुलाया जायगा।

श्री कानसिंह:—

इस संबंध में असेम्बली (विधान सभा) के रूल्स (नियमों) की दफा ५१ की तरफ इस हाउस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि:—

Notice of Motion or Amendment.— Save as otherwise provided in these rules a member who wishes to move a motion, shall give in the case of substantive motion, at least seven clear days' notice in writing of his intention to the Secretary. तो मैं अर्ज करूंगा कि इस नियम के मुताबिक उसकी रिपोर्ट २ महीने के भीतर ही पेश हो जानी चाहिए। यदि विधान सभा की बैठक सितम्बर में हो तो रिपोर्ट पहले ही पेश हो जानी चाहिए।

श्री जसवन्तसिंह:—

मेरी समझ में कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय अध्यक्ष:--

जो सुविधाजनक स्थिति हो, उसका निर्णय कर लिया जाय।

श्री जसवन्तसिंह:--

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सिलेक्ट कमेटी के निम्न सदस्य.......

माननीय अध्यक्ष:--

पहले बिल सिलेक्ट कमेटी को पेश करने के लिए प्रस्ताव करके फिर ये नाम दें।

श्री जसवन्तसिंह:--

श्रीमान् अध्यक्षजी, अभी जैसा कि मैंने पहले ही प्रस्ताव पेश किया था

और जिसे स्वीकार कर लिया था कि फोरेस्ट बिल (बन विधेयक) सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के सामने पेश किया जाय ताकि इसमें वे कमियां जो जल्दी में ड्राफ्ट करने के कारण रह गई हों, सिलेक्ट कमेटी, (प्रवर समिति) के सामने पेश करने से उनकी जांच की जा सकेगी। पेश करने का जहां तक ख्याल है, मेरे माननीय मित्र, मंत्री महोदय, को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, इसलिये हाउस (सदन) की इजाजत ले ली जाय कि आया इसे (सिलेक्ट कमेटी) को सुपुर्द किया जाय या नहीं। इसके बाद में मैं इसके परसोनल्स (व्यक्तियों) के नाम प्रस्तुत करुंगा।

माननीय अध्यक्ष

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री जसवन्तसिंह

अब मैं पर्सोनल्स (व्यक्तियों) के बारे में यह प्रस्ताव करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी के निम्नलिखित व्यक्ति इसके सदस्य बनें:——

श्री रोशनलाल, श्री हरिदेव, श्री बद्रीलाल, श्री रामदयाल उपाध्याय, श्री श्रीदास गोयल, श्री बद्रीप्रसाद, श्री वेदपाल त्यागी, श्री केसरीसिंह, श्री भैरूंसिंह केलवा ये नाम हैं संयुक्त दल के।

मेरा दूसरा प्रस्ताव यह है कि सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के पर्सोनल्स मन्जूर होने पर, समिति अपनी रिपोर्ट, जब दूसरा सेशन (सत्र) विधान सभा का शुरू हो, उसके शुरू होने के एक सप्ताह के अन्दर अन्दर अपनी रिपोर्ट विधान सभा के सामने पेश करें। कोरम इसका ७ का होना चाहिये।

माननीय अध्यक्षः—

प्रश्न यह है कि:——यह विधेयक सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के सुपुर्द किया जाय। इसके सदस्य श्री रोशनलाल, श्री हरिदेव, श्री बद्रीलाल, श्री रामदयाल, श्री श्रीदास, श्री बद्रीप्रसाद, श्री वेदपाल त्यागी, श्री दलीपसिंह, श्री गोपीलाल यादव, श्री श्रीगोपाल भार्गव, श्री संग्रामसिंह देवगढ, श्री हिम्मतसिंह, श्री भैरवसिंह, श्री हरदत्तसिंह, श्री सज्जनसिंह,, श्री केसरीसिंह, श्री भैरूंसिंह केलवा होंगे तथा आगामी होने वाले सदन के दूसरे अधिवेशन की बैठक शुरू होने के इसकी रिपोर्ट एक हफ्ते में इसे प्रस्तुत हो और इसके कोरम की संख्या ७ होगी।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री अमृतलाल यादव इस सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के अध्यक्ष होंगे।

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वादविवाद

माननीय अध्यक्षः—

अब श्री राजप्रमुख के भाषण पर दिनांक १ अप्रेल, १९५२, को श्री मंगलसिंह द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित प्रस्ताव पर वादविवाद शुरू किया जाएगा :—

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्यगण श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के लिए जो कि उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यंत कृतज्ञ हैं।

(कुछ ठहरकर)

माननीय अध्यक्षः—

श्री टीकाराम पालीवाल इसका जवाब देंगे।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर इस तरह से बड़ी लम्बी चौड़ी चर्चाएं हुई जब कि श्रीमन् राजप्रमुख ने एक वैधानिक शासक के रूप में यहां पधारकर इस सदन की शोभा बढ़ाई। उन्होंने अपनी सरकार के पिछले कुछ दिनों के कार्य का विवरण इस सदन के सामने रखा। साथ में उन्होंने सरकार की भावी नीति पर भी प्रकाश डाला। राज्य के वैधानिक शासक, श्रीमन् राजप्रमुख का यह भाषण प्रायः परम्पराओं से इसलिये होता है, उसका उद्देश्य यह होता है कि उनके भाषण में पिछले दिनों का शासन संबन्धी कार्यों का सूक्ष्म ब्योरा हो व आगे के लिए सरकार की नीति का भी संकेत मिल सके और यहां पर सभा के सभी सदस्य, सदन के प्रत्येक सदस्य, को शासन व्यवस्था के संबंध में अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिले। अभी तक, आज तक जो दूसरे प्रजातंत्र देश हैं और हमारे यहां भी जो प्रजातंत्र देश हैं वहां इस प्रकार दी गई स्पीचों (भाषण) पर, इस तरह आभार प्रकट करने के अलावा दूसरा कोई तरीका अभी तक काम में नहीं लाया गया और यह परम्परा जारी रही है कि इस अवसर पर आपसी अन्य बातों को भुला कर उस परम्परा से आने वाली रूढ़ि को न छोड़ें। अध्यक्ष महोदय, अधिक अच्छा होता यदि हमारे यहां पर आये हुए धारा सभा के सभी सदस्य उन परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण पर अपने विचार प्रकट करते। मुझे खेद है अध्यक्ष महोदय, कि यहां जो कुछ भाषण हुए वे शायद गंभीर और महत्वपूर्ण ढंग से जैसे होने चाहिये थे नहीं हुए। मुझे खेद है कि कुछ भाषण ऐसे भी हुए हैं जिसमें इस सदन के लायक संजीदगी का अभाव रहा है। उसका ध्यान न रख कर श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनका प्रयोग नहीं होना चाहिये था। हाउस में मैं, इन सारी आलोचनाओं में उस तरह से नहीं जा सकूंगा। यदि मैं ऐसा करने लगूं, अध्यक्ष महोदय, तो इस सदन का बहुत सारा समय मैं ही ले लूंगा और मैं समझता हूं कि यह समय इसके लिए उपयुक्त नहीं है। मैं यह समझता हूं कि यह ठीक होता यदि शासन की प्रत्येक

बुराई के बारे में, कार्यवाहियों के बारे में, तफसील से चर्चा की जा सकती थी, आलोचना की जा सकती थी और उसका समाधान करने की चेष्टा भी । इस समय तो मैं सारी बातों में न जाकर, इस सदन के सामने कुछ सदस्यों ने जो बातें कहीं है उन मुख्य मुख्य बातों पर ही अपने विचार प्रकट करुंगा । जैसा मैंने निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय कि कुछ बातें बहुत अच्छे ढंग से कही गई हैं और कुछ खामियें जो इस भाषण में बतायी गई हैं, मैं नहीं कहता कि इस भाषण में कोई कमी नहीं रही है। यह संभव नहीं था कि पिछले तीन सालों का सारा ब्योरा श्रीमन् राजप्रमुख अपने २५-३० मिनिट के भाषण में देते।

कहीं भी मेरे ख्याल से ऐसी परम्परा नहीं कि लाजमी तौर पर राज्य के प्रमुख के भाषण में सारा ब्योरा आये । वह एक भाषण है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट नहीं। यह संभव नहीं कि इसमें भविष्य की सारी बातें कह दी जायं इसलिये जैसा वे कहते हैं कि एवरी थिंग.........

एक माननीय सदस्यः-

जरूरी जरूरी बातें तो आनी ही चाहिये

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री)

(अपना भाषण जारी रखते हुए) जरूरी जरूरी बातें तो मेरे खयाल से आयी हैं। हो सकता है इस पर भी कई बातें रह जाए। फिर भी एक चीज हुआ करती है, अध्यक्ष महोदय; वह है पोलिटिकल ओनेस्टी जैसी । जैसा कि मैंने इस भाषण को सुनकर कहा कि उसमें जो कुछ ओमीशन्स थे, उन्हें मैंने मार्क कर दिया और मैं मानता हूं कि कृषिकार लोक दल की तरफ से जो अमेन्डमेंट रखा गया था उसमें कुछ बाते अच्छी थी; मैं मानता हूं कि उनकी कई बातों में तथ्य है । वे बातें आ सकती थी । लेकिन उन चीजों का समावेश राजप्रमुख के अभिभाषण में न होने से यह तो नहीं कहा जा सकता कि राजप्रमुख धन्यवाद के पात्र नहीं। मुझे यह विश्वास है कि उसके भिन्न भिन्न पैरा पर हाउस (सदन) की राय ली जाती तो मेरा विश्वास है कि मुझे जो कुछ कहना पड़ रहा है वह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और कोई भी सज्जन उस पर आपत्ति पेश नहीं करते । जहां एक सज्जन ने आलोचनायें की हैं उसमें मुझे सद्भावना मालूम हुई कुछ सच्चाई मालूम हुई । एक माननीय सदस्य ने बतलाया था कि राज्य के अमुक क्षेत्र में सड़कों की कमी है, सड़कें खराब हैं । मैं यह मानता हूं, मुझे यह मालूम है कि उस तरफ सड़के खराब हैं । उसके लिए माननीय सदस्य को मैं बतला देना चाहता हूं कि हमने आगामी प्रोग्राम में इस कार्य के लिए, यानि सड़कों की दुरुस्ती के लिए, एक प्रोग्राम रखा है। एक बात विरोधी दल के उप-नेता ने जो बतलायी है वह है अदालती काम के बारे में । उससे भी मैं परिचित हूं। अदालतों में कई जगह बहुत सा काम बढ़ गया है, एरियर्स पड़े हुए हैं । इस बारे में जल्दी ही ठीक करने को हम चिन्तित हैं । हमारे हाई कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं । हम प्रयत्न

कर रहे हैं दूसरी जगह से सुयोग्य जज हाई कोर्ट में लाने का। (हर्षध्वनि) परन्तु, अध्यक्ष महोदय, कई बार सही चीजों के साथ जब गलत चीज मिला दी जाती है तो खेद होता है। यह कहना सही था कि हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कम है वह संख्या जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिये उसे मैं स्वीकार करता हूं। किन्तु जब माननीय सदस्य ने यह कहा कि हाईकोर्ट की नियुक्ति में राजनैतिक बातों का ध्यान रखा जाता है तो मैं बहुत नम्रता और दृढ़ता से इस बात का खंडन करना चाहता हूं कि कहीं भी इस प्रकार के विचार अब तक न तो रखे गये और न रखे ही जाने चाहिये और न रखे ही जा सकते हैं। मेरा खयाल है, इस प्रकार का मेरा खयाल है कि यह केवल उन माननीय सदस्य का बहम ह। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी, जो कुछ भी, उक्त माननीय सदस्य ने कहा वह अच्छे ढंग से, सुन्दर ढंग से कहा।

एक दूसरे सज्जन जो जमवा रामगढ के हैं उनकी कई बातों से, उनके भाषा-प्रयोग से मुझे, आश्चर्य नहीं हुआ किन्तु निराशा जरूर हुई। आश्चर्य इसलिये नहीं हुआ कि मैं उनकी भाषा से कई साल पहले से परिचित हूं। बहुत अरसे से इस प्रकार उनकी भाषा को सुन चुका हूं। मैं आशा करता था कि उन्होंने इस तीन चार साल के बीच बदले जमाने को देख कर अपनी भाषा में अवश्य सुधार किया होगा उन्होंने कुछ सीखा होगा, अपने को कुछ सुधारा होगा ऐसा; मेरा विश्वास था; किन्तु मुझे इसमें निराशा हुई। मैं खुद उनके लिए यह बात नहीं कहता, लेकिन उनके बारे में, उनकी भाषा के बारे में चाहे ज्यादा नहीं कहूं, परन्तु यह तो अवश्य कहूंगा कि उन्होंने तथ्यों को किस प्रकार छिपाया है? केवल यदि उनकी भाषा की बात ही होती तो उसका उत्तर देकर इस सदन का अमूल्य समय मैं नहीं लेता। उक्त भाषण में माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं उनके विषय में मैं नहीं जानता कि वे क्यों कही गई? चर्चा की गई है शान्त जलूस की; न्याय और व्यवस्था की। कहा गया है कि इस शहर में एक शान्त जलूस पर गोलियां चलायी गयीं और जिस सरकार के समय में गोलियां चली उस खूनी सरकार के सदस्य आज भी यहां मौजूद हैं। अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता यदि माननीय सदस्य पहले अपने दिल को टटोलते, अपना आत्म परीक्षण करते। मैं इस विषय में चर्चा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि इसका हवाला दिया गया है, अतः मुझे बाध्य होकर इसे यहां लाना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, वह एक दुखद घटना हुई, अफशोसजनक चीज हुई। लेकिन इसका दायित्व सरकार पर बिल्कुल नहीं था। इसका दायित्व उस दल विशेष पर था जो दल हमारे प्रान्त के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, एक विशिष्ट व्यक्ति, की मृत्यु से अपने राजनैतिक दल के लिए, लाभ उठाना चाहता था। मैं बतलाऊंगा कि किस तरह स्वर्गीय महाराजा जोधपुर की एक हवाई दुर्घटना से मृत्यु हुई। यह सुन कर सब को दुःख हुआ, उस समय की सरकार को भी दुःख हुआ। हम लोगों को गहरी चोट लगी। हमारे उस समय के मुख्य मंत्री, माननीय श्री जयनारायण व्यास, मैं और दो तीन और आदमी तत्काल वहां गये। मनुष्य ऐसे समय केवल संवेदना प्रकट करने के अतिरिक्त और क्या कर सकता है? यह किसी के वश की बात नहीं। इसके साथ साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि

किसी रुलर की मृत्यु पर, मुझे याद नहीं पड़ता, छुट्टी की गई हो, जिस प्रकार सरकार ने स्वर्गीय महाराजा की मृत्यु पर दो दिन की छुट्टी की घोषणा की।

मैं श्रद्धान्जली पेश करने नही खड़ा हुआ हू, लेकिन मेरी संवेदना की बातों को सुन कर मेरे मित्र अपने आपको उनका भक्त और प्रशंसक बतलाते हैं। वे शायद इसे ऐसी संवेदना की मेरी बातें सुन कर श्रद्धान्जली भी कहें तो इससे शायद उनको चोट नहीं लगेगी। वह कान्ड उसी प्रकार समाप्त हो जाना चाहिये था। वह दुखद वायु दुर्घटना जो हुई उसमें सचमुच ही प्रतिभाशाली युवक महाराजा के जीवन का अन्त हुआ। वह अपनी प्रतिभा का किस दिशा में उपयोग कर रहे थे वह उनके जानने की बात थी। लेकिन वह प्रतिभाशाली थे। यह मानना पड़ता है एक उन प्रतिभाशाली व्यक्ति की मृत्यु के कारण, जिनका कि एक प्रमुख व्यक्तित्व था, सब को दुःख हुआ और राजस्थान सरकार को भी उसका दुःख हुआ और सरकार ने अपनी संवेदना भी प्रकट की। लेकिन कुछ दूसरे लोग, कहने को उनके हमदर्द बनते हैं और अपने आपको उनके भक्त बतलाते हैं लेकिन मैं जानता हूं कि उनकी कैसी हमदर्दी है, कैसी भक्ति है? उस मृत्यु के अवसर को राजनैतिक खेल का अवसर बनाये जाने की कोशिश की जा रही थी। उस समय कुछ अफवाहें फैलाई गई कि स्वर्गीय महाराजा की मृत्यु किन्हीं लोगों के षडयंत्र से हुई है और यह अफवाह भी फैलाई गई कि कांग्रेसियों ने वायुयान के चालक को कुछ ब्राइब (घूस) दे डाली है। इस प्रकार की अफवाहें फैलाई गई थीं। लेकिन लोगों को मालूम हुआ कि उसमें कोई चालक था ही नहीं। उसमें तो स्वयं महाराजा ही उस वायुयान को चला रहे थे और उनके साथ एक दूसरी महिला थी, मैं समझता हूं कि मेरे इस कथन के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं। जो महाराजा को जानते हैं, उस घटना के बारे में जानते हैं या जो प्रामाणिक व्यक्ति हैं और जो कि उनके सब मामलों को जानते हैं; वे इस बात को बता सकते हैं कि सिवाय उन दोनों के तीसरा उसमें मौजूद नहीं था। और इस प्रकार जिन लोगों ने यह अफवाहें फैलाई थीं, गलत अफवायें फैलायी थी, उनमें कोई ईमानदारी नहीं थी (विचार जारी)।

श्री मानसिंह:--

अध्यक्ष महोदय, अभी जो अफवाहों के लिए फरमाया गया उनके लिये मेरी जहां तक इत्तिला है उनके अनुसार मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि चालक के बारे में कोई ऐसी अफवाह नहीं थी, लेकिन इतना अवश्य मैंने भी सुना था कि अनुष्ठान किया गया, मिठाई बांटी गई; यह हमने नहीं सुना था कि चालक को घूस दी गई। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर रोशनी डालेंगे तो हम उनकी बड़ी कृपा मानेंगे।

माननीय अध्यक्ष -

ऑर्डर, ऑर्डर।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री) :—

अध्यक्ष महोदय, यह एक और नई अफवाह फैलाने का प्रयत्न किया गया है, जो अफवाह आज तक नहीं सुनी थी, वह आज इस सदन में सुनता हूं। यह एक नई अफवाह फैलाने का यत्न किया जा रहा है। खैर, वे अफवाहें केवल अफवाहें ही रहीं और उनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ सका, जनता पर, समझदार लोगों पर। लेकिन एक और चाल चली गई और वह यह कि जयपुर शहर में हड़ताल का आयोजन करवाया गया, एक जलूस का आयोजन किया गया। सरकार इस प्रकार की किसी हड़ताल में कोई बाधा नहीं डालना चाहती थी। इसी प्रकार के जुलूस पर उस समय की सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जिस ढंग से, जिस तरीके से और जिस उद्देश्य से वह किया गया वह आखिर सामने आया। मेरे पास इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि राजपूत होस्टल के विद्यार्थियों का उपयोग किया गया। बेचारे भोले विद्यार्थी भावुकता में किसी के भी पीछे जा सकते हैं। उनको जुलूस का अंग बनाया जाता तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन उन अबोध बालकों का उपयोग किया गया, जबरदस्ती दुकानें बन्द करवाने और दूकानों को लूटने में··········

श्री कानसिंह :-

अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबन्ध मे श्री मुख्य मंत्री जी से यह साफ कराना चाहूंगा कि जो अभी जिस चीज का हवाला दे रहे हैं वह किसी इन्क्वायरी कमेटी (जांच समिति) की रिपोर्ट के आधार पर है या सिर्फ महकमाना कार्यवाही के आधार पर।

एक माननीय सदस्य:

अध्यक्ष महोदय, एक बार जिस विषय में एन्क्वायरी (जांच) के लिए बाकायदा सरकार ने ऑर्डर दिये हैं, मैं समझता हू कि उसके आधार पर यह कैसे कहा जा सकता है ?

माननीय अध्यक्ष:--

ऑर्डर ऑर्डर

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री:–)

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार बाधा डालना सही नहीं होगा। मैं जो कह रहा हू वह मेरी पुलिस की रिपोर्ट्स के आधार पर और दूसरे विश्वस्त सूत्रों के आधार पर और जो कुछ मैंने स्वयं ने देखा है उसके आधार पर कह रहा हूं। इस बात को मेरे खयाल से कोई मना नहीं कर सकता, जिनको इस बारे में जानकारी है, जिनका इस बात में हाथ रहा है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि विद्यार्थियों का उपयोग जुलूस और हड़ताल करवाने में किया गया था।

इससे अधिक इस बात का और क्या प्रमाण होगा कि उस जुलूस में जिसको कि पुलिस ने रोकना चाहा, जिसको कि गैर कानूनी करार दिया गया, उस जुलूस ने, उस समूह ने, उस झुन्ड ने, पुलिस के ऊपर आक्रमण किया और पुलिस को आत्मा-रक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी। उस समूह में कई विद्यार्थि थे, जिनमें से उस स्थान पर एक विद्यार्थी की मृत्यु होगई। मुझे बहुत दुख है कि विद्यार्थी तो स्वयं नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं, उनको कुछ बड़े लोगों ने जो कि उनके आगे चल रहे थे इस प्रकार गलत रास्ते पर डाल दिया था। जिन माननीय सदस्य ने इस कान्ड के लिए सरकार को खूनी सरकार बताया है वह स्वयं उस जुलूस को ओरगेनाइज (संचालित) और लीड (नेतृत्व) करने वाले थे। वे धारा सभा के सदस्य होते हुए भी गैर कानूनी कार्यवाही कर रहे थे। मुझे आप सब लोगों के सामने यह बताते हुए अफशोस होता है कि पुलिस ने उस समूह को तितर-बितर करने की कार्यवाही की, तो निर्दोष व्यक्ति, जो शायद अपनी मर्जी से नहीं आये थे, दूसरों के बहकाने से आये थे, आहत हुए और संचालकों में से कई लोग जीप के पीछे छिप गये और कई लोग पास के घरों में दब गये। वे माननीय सदस्य, जो कि उस समय मौजूद थे, उस जीप के पीछे हो गये जो जीप जुलूस का नेतृत्व कर रही थी।

श्री मानसिंह जमुवा रामगढ:--

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रकार के आरोप जो लगाये जा रहे हैं, बरदाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं इस सदन के सामने यह पेश करना चाहता हूं कि जो कुछ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है वह बिल्कुल गलत है। जिस समय पुलिस ने गोली चलाई उस समय मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से माणक चौक चौपड़ पर, आई० जी० पी० साहब के साथ, नेगोशियेट (बातचीत) कर रहा था कि किसी तरह से जुलूस को शान्तिपूर्वक निकलने दिया जाय। यह बात बिल्कुल गलत है कि मैं जीप के पीछे छिप गया (विपक्षी दल की ओर से करतल ध्वनि) मैं राजपूत हूं। मैं कह सकता हूं कि मैं कभी ऐसा अशोभनीय काम नहीं कर सकता हूं। मैं चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने शब्दों को वापिस लें। उन्होंने जो कुछ कहा है वह मेरी मानहानि है।

माननीय अध्यक्ष:-

ऑर्डर, आर्डर

श्री कानसिंह:--

अध्यक्ष महोदय, यह जो वाद विवाद शुरु हो गया है इसके संबन्ध में मैं यह अर्ज करुंगा कि जब तक एन्क्वायरी कमेटी (जांच समिति) की रिपोर्ट नहीं आजाय तब तक इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। जब तक कमेटी की जांच पूरी नहीं हो तब तक उनको इस मामले में उन्हें इस तरह नहीं कहना चाहिये। मेरे खयाल से आप एक बड़े भारी वकील रह चुके हैं और इस तरह से आप कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं चाहूंगा·······

एक माननीय सदस्यः—

इज दिस ए पाइन्ट आफ ऑर्डर ओर ए स्टेटमेन्ट

(क्या यह पाइन्ट आफ ऑर्डर है या वक्तव्य)

माननीय अध्यक्षः-

ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज कान्टीन्यु (कृपया जारी रखें)।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—

(विचार जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन निवेदन किया था और आज भी कहना चाहता हूं कि इस घटना की चर्चा नहीं करनी चाहिये थी, लेकिन मेरे पास इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है जबकि दूसरी तरफ से गलत तरीके से तथ्यों को रखा जाता है। एक साधारण सदस्य के नाते और सरकार का व्यक्ति होने के नाते मुझे अधिकार है कि मैं अपनी सफाई दूं। यदि माननीय सदस्य कहते हैं कि वे जीप के पीछे नहीं छिपे थे तो मैं इस कथन को सही मान लेता हूं, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस बात को तो मानना पडेगा, जैसा कि वे स्वयं स्वीकार करते हैं, कि वे इस जलसे के आर्गेनाइजर्स में से थे और वे इसके बारे में पुलिस में चाराजोई कर रहे थे कि जुलूस निकलने दिया जाय। यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य इस जलसे को ओर्गेनाइज करने के जिम्मदार थे। यह उनके लिये शोभा नहीं देता कि जो दुर्घटनायें इनके कारण से हुई, जिसकी तहत में वे स्वयं हैं, उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर लादें। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समय जो जुलूस निकाला गया था और जो गड़बड़ करवाई गई थी उसके पीछे दूसरा ही उद्देश्य छिपा हुआ था और वह उद्देश्य था राजनैतिक चाल का। इसलिये मैं कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि स्वर्गीय महाराजा हनवन्तसिंहजी की मृत्यु से सब को दुःख हुआ। इनसे पहले भी कई राजाओं की मृत्यु हुई थी। ज्यादा दूर की बात नहीं। कुछ ही दिन पहले महाराजा बीकानेर की मृत्यु हुई थी और उसके पहले भी कई दूसरे शासकों की मृत्यु हुई थी। महाराजा बीकानेर बहुत अच्छे व्यक्तियों में से थे। यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि उनके प्रति किसी के दिल में कम आदर था, बनिस्पत महाराजा हनुवन्तसिंहजी के। स्वयं महाराजा हनुवन्तसिंहजी के पिता महाराजा उम्मेदसिंहजी की मृत्यु भी बहुत दिन पहिले नहीं हुई थी। मुझे वह दिन याद है। उस समय जयपुर में किसी ने इस तरह का जुलूस आर्गेनाइज करने की जरुरत नहीं समझी थी। यह कहा जा सकता है कि उस समय ये राज्य एक नहीं हुए थे। अलग अलग रियासतें थीं। यह कोई तरीका नहीं है, यह कहने का कि इससे उनका आदर हमारे यहां कम होगया। शोक प्रदर्शन के लिए व आदर प्रदर्शन के लिये राज्य की सीमायें बाधक नहीं हुआ करतीं। यदि कोई इस तरह की बातें करे तो वे बातें तथ्यहीन होंगी। यदि यह मान लिया जाय तो भी महाराजा बीकानेर की

मृत्यु राजस्थान निर्माण के बाद हुई थी और मैं निवेदन करूंगा कि उनके हाथों से इस देश का कल्याण बहुत ज्यादा हुआ था। मैं यह मानता हूं, और यह कम से कम सबको मालूम है, कि जिस समय देश का विभाजन हुआ था और जिस समय हिन्दुस्तान. और पाकिस्तान अलग अलग हुए उस समय महाराजा बीकानेर ने पाकिस्तान के प्रति कभी कोई हमदर्दी नहीं दिखाई थी। उनकी सारी भक्ति भारतवर्ष के प्रति थी और किसी के बारे में शायद यह बात इतनी स्पष्ट न हों, क्योंकि बहुत से ऐसे रुलर्स थे जिन्होंने भारत की एकता के लिए उस समय भी अच्छा पार्ट (काम) प्ले किया और उनमें से महाराजा बीकानेर भी एक थे। एसे व्यक्ति के प्रति वह भक्ति क्यों न उमड़ी? भक्ति सब के दिल में थी, लकिन उस समय इस प्रकार का जलूस ओर्गेनाइज करने की शायद जरुरत नहीं समझी गई थी क्योंकि उस समय कोई राजनैतिक बात का इतना प्रश्न नहीं था। क्योंकि महाराजा जोधपुर की मृत्यु के समय चुनाव हो चुके थे और नई धारा सभा बनने वाली थी दोनों ही दलों की स्थिति कुछ अनिश्चित थी और नई सरकार बनने का समय आ रहा था, इसलियें कुछ लोगों ने सोचा कि वर्तमान सरकार की गल्ती बता कर, स्वर्गीय आत्मा के प्रति सहानुभूति का अनुचित लाभ उठाकर लोगों को इकट्ठा किया जाय और सरकार के प्रति लोगों को भड़काया जाय। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने इसे आर्गेनाइज (व्यवस्थित) किया था, उन लोगों की मन्शा थी कि लूट पाट मचाई जाय। दुकानें लूटी भी गई। अशान्ति मचाई गई और सरकार को बदनाम करने का मौका ढूंढा गया। उन्होंने इस तरह का आयोजन किया। मैं कहता हूं कि छोटी सी बात के लिये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए सरकार की बनिस्पत उनकी जिम्मेदारी अधिक थी। अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय जमुआ रामगढ से आये सदस्य ने जो कुछ कहा उसे सुनकर निराशा ही नहीं बल्कि आश्चर्य भी हुआ क्योंकि मैं उनसे इस प्रकार के भाषण और बातों की आशा नहीं करता था। लेकिन मैं आपके सामने अध्यक्ष महोदय, स्वीकार करना चाहता हूं कि मुझे सबसे अधिक निराशा हुई मेरे उन माननीय मित्र से जो ठीक मेरे सामने बैठ हैं। उनके भाषण को मैंने बहुत ध्यान से सुना और जो सुनने सें बाकी रह गया था उसे मैने जानने का प्रयत्न किया। उनके भाषण की रिपोर्ट लेकर मैंने उसे पढा है। जैसा कि मैंने निवेदन किया में स्वीकार करता हूं कि मुझे सबसे गहन निराशा माननीय विरोधी दल के नेता के भाषण सें हुई। मैं आशा करता था कि आलोचना सरकार की होगी और सरकार की आलोचना होनी भी चाहिये। हमने तो जान बूझ कर श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में इस बात को रखवांया था और यही बात श्रीमन् राजप्रमुख महोदय ने कही थी कि मेरी सरकार उस आलोचना का स्वागत करेगी। न केवल नीति और प्रोग्राम के विषय में, बल्कि जो कुछ भी उसने किया है और न किया है, इस बात की आलोचना का मैं स्वागत करता हूं। फिर भी मैं यह आशा करता था कि मेरे माननीय मित्र, जो कि ठीक मेरे सामने बैठे हैं, जो आलोचनायें करेंगे वे सही आलोचनायें करेंगे और चाहे कुछ भी कहें लेकिन मैं उनसे यही आशा रखता था कि जो भी आलोचना होगी वह सही होगी और उसमें कोई दाव पेच की बात नहीं होगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं इस भाषण के लिये। मेरे माननीय मित्र ने सब से पहले आरम्भ में दो तीन पंक्तियों को

छोड़ कर कहा हैं:—

"लेकिन जितनी ही बार हमने इसे देखा, बहुत गौर के साथ देखा, तो हमें इसमें कोई ऐसी बात नहीं मालूम हुई जिसके लिए हम उनको धन्यवाद दें। हमें बड़ा दुख होता है कि जो भाषण उन्होंने दिया यदि वह कोई प्रतिक्रियावादी देता तो अच्छा मालूम देता।"

श्री जसवन्तसिंह:—

बिल्कुल ठीक है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—

मैं निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि विरोधी दल के नेता के मुंह से, उनके जैसे जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से यह शोभा नहीं देता कि राजप्रमुख का भाषण ऐसा हुआ कि वह प्रतिक्रियावादी का था। वे राजप्रमुख को प्रतिक्रियावादी बताते हैं। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि राजप्रमुख एक वैधानिक शासक हैं। वे अपनी सरकार की नीति का वर्णन करते हैं अपनी सरकार के कार्यों का ब्योरा पेश करते हैं और आज जो सरकार है उसकी नीति का भी वे उसी प्रकार प्रदर्शन करेंगे। आज हम सरकार में हैं, इसलिये हमारी नीति उन्होंने निर्भीकता से, सरलता से, सदन के सामने रखी। यदि आपकी सरकार होती या आपकी सरकार हो जाय तो उस समय भी आप उस नीति को भी सामने रखेंगे। ठीक है, संसार की ऐसी परम्परा है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं इसमें कोई अनुचित बात नहीं देखता। अगर मेरे माननीय मित्र यह आशा करते हों कि उनकी सरकार होती, या होजाय, आज नहीं है, पांच साल बाद हो जाय तो इसमें निराशा जैसी कौनसी बात है? मैं संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं कि राजप्रमुख उस नीति को भी, उसी निर्भीकता और सरलता से सदन के सामने रखेंगे और इसलिये यह एक परम्परा है सब सदनों में, सभी प्रजातांत्रिक संस्थाओं में कि राजप्रमुख अथवा राज्य के प्रमुख को राजनीति से ऊपर माना जाता है और उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई ऐसी बड़ी आलोचना नहीं की जाती।

श्री जसवन्तसिंह:—

अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी हमारी समझ में आता है, किसी भी कार्यवाही में अगर किसी बात का अभाव हमें मालूम हो तो उसे बताने का हमें अधिकार है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा विरोधी पक्ष में होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। विरोधी दल हर जगह होता है और वह जहां भी त्रुटि देखता है बताता है। जहां तक राजप्रमुख के सम्मान का सवाल है, हमें आपसे ज्यादा चिन्ता है, उनके सम्मान की। आज तो वे राजप्रमुख हैं पर जब वे राजप्रमुख नहीं रहेंगे तब भी वे हमारे मालिक रहेंगे। लेकिन राजप्रमुख का नाम

इस राजनीति में लेना मेरे मित्र को शोभा नहीं देता। राजप्रमुख के प्रति मेरे मित्र ने हमारी ओर से उनके सम्मान का जो अभाव दिखाया है वह बिलकुल गलत है। राजप्रमुख के सम्मान का ध्यान शायद उस दल को इतना नहीं होगा जितना कि इधर वालों को।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः--

जैसा मेरे माननीय मित्र ने कहा यदि वह वैसा ही होता तब तो मुझे कोई बात कहने की नहीं थी। उनको यह अधिकार था कि वे सरकार की नीति सरकार के कार्यों को प्रतिक्रियावादी बताते। वे यह कह सकते थे कि राजप्रमुख ने जिन नीतियों का प्रतिपादन किया है वह प्रतिगामी नीति मालूम होती है लेकिन उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। जो कुछ भी उन्होंने सफाई दी उसे वे वापस लेना चाहें तो मुझे खुशी होगी लेकिन शब्दों का दुरुपयोग किस तरह किया गया यह साफ है "यदि यह भाषण कोई प्रतिक्रियावादी देता तो अच्छा मालूम होता।" खैर इसलिये मुझे निराशा हुई और आश्चर्य हुआ। मैं यह मानता हू कि राजप्रमुख के व्यक्तित्व के प्रति सदन के सभी लोग और विशेष रूप से विरोधी दल के माननीय सदस्यों को बहुत गहरा रहना चाहिये था। लेकिन मुझे अफशोस इसलिये हुआ कि आज हमारे राजप्रमुख जो कि एक प्रगतिशील, एक जनतांत्रिक सरकार के.. ....

माननीय अध्यक्षः—

ऑर्डर ऑर्डर, मैं दफा ६६ की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं जिसमें यह है कि "The matter of every speech shall be strictly relevant to the matter before the Assembly. (प्रत्येक भाषण का विषय, विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत विषय के अनुकूल होगा)"

(वाम पक्ष की ओर से हर्षध्वनि)

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल---

अध्यक्ष महोदय, मैं इसका अर्थ नहीं समझ सका।

अध्यक्ष महोदयः—

धारा बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रेसिडेन्ट या राजप्रमुख का नाम विवाद के अन्दर इन्फ्लुएन्स करने के लिए नहीं लाया जा सकता।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—

ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं कभी भी राजप्रमुख का नाम इन्फ्लुएन्स करने

के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि राजप्रमुख के बारे में इतनी बात नहीं कहनी चाहिये थी जो कही गई। मेरा तो इतना ही मतलब था इस बात के लिए। क्योंकि आज इस जनतांत्रिक सरकार की प्रगतिशील नीति का प्रतिपादन उन्होंने यहां किया, इसलिये उनके प्रति भी यह शब्द कहे: मेरी तो यही शिकायत है। खैर, लेकिन यह तो शायद सम्भव नहीं होगा कि राजप्रमुख के भाषण के बारे में विवाद हो, बहस हो; किन्तु राजप्रमुख का नाम हम उच्चारण नहीं कर सके, यह काम चलने वाला नहीं है। मेरा ख्याल उस धारा का यही मालूम होता है कि राजप्रमुख का नाम इन्फलुएन्स करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाय। अगर राजप्रमुख के भाषण में राजप्रमुख का नाम नहीं लिया जाय तो बहस नहीं हो सकती।

श्री जसवन्तसिंह:-

माननीय अध्यक्ष का निर्णय है (दिस इज दी रूलिंग आफ दी स्पीकर)

माननीय अध्यक्ष

(आई हेव नोट गिवन एनी रूलिंग आई हेव इन्वाइटेड दी अटेन्शन आफ दी मेम्बर्स टू दी सेक्शन(मैंने कोई निर्णय नहीं दिया है। मैंने तो सदस्यों का ध्यान केवल उस धारा की ओर आकर्षित किया है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:-

अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता के साथ आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मैंने राजप्रमुख व मेरे मित्रों के भाषण सुनने के बाद राजप्रमुख के भाषण को दो तीन दफा पढा और मुझे ढूंढने से भी कोई ऐसी एक भी बात मालूम नहीं पड़ी जिससे यह कहा जा सके कि ये बातें प्रतिगामी हैं। मैं उन मित्रों का बहुत कृतज्ञ होऊंगा जो इस भाषण में एक भी शब्द या एक भी पंक्ति ऐसी बता सकें जिसको हम प्रतिगामी कह सकते हैं। यदि यह सत्य है कि जो बात ढूंढने से भी नहीं मिल सकती, उसको वे प्रतिगामी कैसे बतला सकते हैं? और जो शब्द उन्होंने (सदस्यों ने) कहे हैं वे नहीं कहे जा सकते हैं। जब एक भी शब्द ढूंढने से भी नहीं मिल सकता तो फिर मैं यह निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष, कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, मेरे मित्रों की राय में किस प्रकार ठीक हो सकता है? यदि वे मुझे बतला दें कि प्रतिगामी शब्द या पंक्ति कहीं भाषण में है तो मैं उनकी बात मान लूंगा। जहां तक मेरा खयाल है वे नहीं बतला सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह पहला ही अधिवेशन है अतः हमको कुछ स्वस्थ परम्पराओं को पहले पहल डालना चाहिये और डालनी हैं। मैं आशा करता था कि मेरे विरोधी दल के नेता इस प्रकार की परम्पराओं को डालेंगे और उन्हें डालने में सहयोग देंगे। लेकिन मुझे अफशोस

है कि इन भावनाओं का मुझे अभाव मालूम पड़ता है। मेरे विरोधी दल के मित्रों ने यहां तक ही नहीं, दो तीन बातें और भी कही हैं जिनका सरकारी नीति से कोई संबन्ध नहीं है। यदि उनका सरकारी नीति से कोई संबन्ध होता तो मैं उनका सच्चाई के साथ स्वागत करता और जो सच्ची बातें होंगी उनको मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन जहां तक मेरे मित्र को सुन सका हूं और उन्होंने राजप्रमुख के भाषण के संबन्ध में जो कुछ कहा है उसको मैं आपके सामने दोहराता हूं। उन्होंने कहा है, "इसलिये मैं आपको कल के दृश्य को आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जिस प्रकार राजप्रमुख आये उसमें इंगलैन्ड के हाउस आफ लार्डस की नकल की गई थी। उन्होंने जिस प्रकार अंग्रेजी में अपना भाषण दिया, जिस प्रकार उन्होंने शब्दों के उच्चारण किये उनसे यह प्रतीत होता था कि हम मानों हाउस आफ लार्डस में बैठे बादशाह का भाषण सुन रहे हैं। क्या राजप्रमुख हिन्दी नहीं बोल सकते थे, क्या सरकार की यह डियूटी नहीं थी कि कम से कम एक दूसरे अध्यक्ष या महाशय को बतलाते जो कम से कम उनका हिन्दी अनुवाद करते"। यह आलोचना, अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा ठीक नहीं थी।

श्री जसवन्तसिंह:—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि मेरे माननीय मित्र अभी ज्यादा बाहर नहीं घूमे हैं। मैं यहां पर यह कहूंगा कि मेरे एक पार्लियामेन्ट के साथी ने मेरे से ज्यादा निडर होकर, पार्लियामेन्ट में इससे भी ज्यादा कहा था। मैं यह आशा करता हूं कि अगर निडर होकर अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करेंगे तो हमारी परस्पर भावनाएं भी नहीं बढ़ेगी। *····अगर मेरे मित्र अखबार देखने की कोशिश करते और जरा तकलीफ करते तो उन्हें मालूम होता कि मैंने जो शब्द यहां कहे हैं वे बहुत मामूली कहे हैं। मेरे मित्रों ने पार्लियामेन्ट में डा० राजेन्द्रप्रसाद, जिनका कि स्थान राजप्रमुख से ज्यादा ऊंचा है, जिस समय पार्लियामेन्ट में शुरु में आये थे और भाषण दिया था उस वक्त उनके प्रति कहे उनको यदि आप देखें तो आपको मालूम होगा कि मैंने तो यहां कुछ नहीं कहा है। यदि आप उस समय की पार्लियामेन्टरी कार्यवाही को देखें तो आपको मालूम होगा कि कितने कठोर शब्दों में उनकी आलोचना की गई थी और पंडित नेहरू ने स्वयं व दूसरे कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं ने भी उनकी आलोचना करते हुए कहा था कि हम कभी भी इस बात को सहन नहीं कर सकते कि हम हिन्दुस्तानी होते हुए भी हम अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी का उपयोग न करें। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे राष्ट्रपति एक हिन्दुस्तानी होते हुए भी हिन्दी को नहीं अपनाते; हालां कि उनके अंग्रेजी कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। मेरे माननीय मित्र का यह कहना इसलिये है कि उन्होंने अभी तक दुनियां नहीं देखी है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मेंढक शब्द के विशेषण के प्रयोग की

* Note—Expunged by order of chair.

तरफ दिलाना चाहता हूं । जो विशेषण मेरे माननीय मित्र ने मेरे लिये प्रयोग किया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में मैंने अभी तक दुनियां इतनी नहीं देखी है जितनी कि उन्होंने देखी है। लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करुंगा कि यदि किसी ने कहीं पर भी अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया हो तो क्या वे शब्द जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए प्रयोग करने उचित थे ?

माननीय अध्यक्षः-

मैं यह आज्ञा देता हूं कि यह मेंढक आदि जो शब्द हैं उनको एक्सपंज किये जावें।

श्री जसवन्तसिंहः--

मुझे कोई एतराज नहीं है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः-

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे ख्याल से इस प्रकार की आलोचना नहीं होनी चाहिये थी, लेकिन इस वेषभूषा से व्यक्तिगत रुचि का पता लगता है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार हिन्दी के लिए आलोचना थी। मगर मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जिस अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिये, जिसका प्रयोग राजप्रमुख द्वारा किया गया था, मेरे माननीय मित्र को इतनी बड़ी आपत्ति हुई, उसी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग मेरे माननीय मित्र के कई साथियों ने किया और मुझे नहीं मालूम कि उनको वह चीज चुभी हो। हो भी सकता है उनके साथियों की भाषा उनको चुभी हो, लेकिन मुझे तो कहीं पर भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उनको चुभी हो। फिर क्या यह विशेष रूप से राजप्रमुख के प्रति ही आलोचना करने की बात थी? फिर भी वे कहते हैं कि उनके मन में उनके प्रति बहुत बड़ी भक्ति है। मैं भी मान लेता हूं। लेकिन होना यह चाहिये था कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं रखते। सरकार पर यह दोष लगाते हैं कि राजप्रमुख के भाषण का हिन्दी अनुवाद कराने की सरकार की रुचि नहीं थी। मैं यह कहूंगा कि हिन्दी अनुवाद तो छपा हुआ तैयार था और राजप्रमुख के भाषण के बाद तुरन्त ही सबको दे दिया गया था। राजप्रमुख का भाषण समाप्त होते ही उसके हिन्दी अनुवाद की कोपी (प्रतिलिपि) सभी सदस्यों के पास पहुंच चुकी थी। फिर यह आरोप लगा कर इतने बड़े तथ्य को, समझ में नहीं आता, क्यों छिपाया गया? मैं यह कहूंगा कि आलोचना, आलोचना के लिये होनी चाहिये। वह एक स्वस्थ आलोचना होनी चाहिये। यह आलोचना, जो की गई है, उसको हम स्वस्थ आलोचना नहीं कह सकते।

मैं सब बातों का पृथक उत्तर देने का प्रयत्न नहीं करुंगा। समय दुवारा आने वाला है। माननीय सदस्यों को तफसील से सरकार के काम का व्यौरा दूंगा। सरकार के पिछले कामों की आलोचना करने का, बहस करने का,

अवसर आयेगा। उस समय उसके बारे में भावों को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। इसलिये जो दो तीन मोटी मोटी बातें सामने आती हैं, जिनके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है उनमें से एक बात है चुनाव के विषय में। चुनाव के बारे में मेरे खयाल में माननीय सदस्यों द्वारा कई बातें कही गयी हैं। और विरोधी दल की तरफ से ज्यादा जोर से कही गई हैं। मुझे आश्चर्य होता हैं, अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है, ग्रामीण कहावत है, मेरा जी नहीं चाहता उसको मैं यहां कहूं लेकिन उसका भावार्थ कह देता हूं कि शिकायत वे कर रहे हैं जिनके प्रति दूसरों को शिकायत होनी चाहिये ।

एक माननीय सदस्य—चोर कोतवाल को दंडे ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—

(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करुंगा । अध्यक्ष महोदय, चीज कुछ ऐसी ही है। विरोधी दल की बेंचों पर अधिकतर माननीय सदस्य ऐसे हैं जो अपने दिल में जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार चुनाव लड़े और किस प्रकार चुनाव जीते। ठीक है मैं कब कहता हूं कि उनको राय नहीं मिली। किस प्रकार की राय मिली है, दुनियां भी जानती है, हम भी जानते हैं, वे खुद भी जानते हैं। मेरे पास कई रिपोर्टें हैं, अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने चुनाव में दारू का प्रयोग किया। और अध्यक्ष महोदय, यह भी मेरे पास रिपोर्ट है कि एक माननीय सदस्य के चुनाव में एक ऐसा व्यक्ति उनके पक्ष में काम कर रहा था कि जो आज एक लड़के के उड़ाने के बारे में गिरफ्तार किया गया है, यह मेरे पास सूचना है। इस प्रकार के तथ्य सामने आये हैं, इस प्रकार की चीजें सामने आयी हैं जिनसे मालूम होता है कि हथियारबन्द लोगों ने कुछ इलाकों में आतंक फैलाया। मैं मानता हू कि सरकार की यह कमी थी क्योंकि उस वक्त, उस इलाके में, उस समय, इस प्रकार की आतंक पूर्ण कार्यवाही को समय पर वह पूरी तरह से नहीं दबा सकी। मैं इस कमी को मानता हूं । लेकिन जहां मैं इस कमजोरी को मानता हूं, सरकार की कमजोरी को मानता हूं, उन लोगों के पास कोई ऐसा आधार नहीं कि जिन लोगों ने इस प्रकार की कार्यवाही की हो वे सरकार पर छींटाकशी करें और सरकार के ऊपर उल्टा दोष लगावें। यह उन लोगों का अधिकार नहीं। जिन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा वे लोग यदि दोष लगायें तो उनके सामने सिर झुकाकर हम अपनी कमजोरी को मानेंगे। लेकिन वे लोग जो लोग यह कहने का साहस करते हैं थोड़ी सी भी राजनैतिक ईमानदारी से सरकार के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते।

तब भी इस विषय में संदेह नहीं कि कुछ इलाकों में इस प्रकार की कार्यवाही हुई। यह प्रकट है, सब को प्रकट है, दुनियां जानती है, स्वयं वे भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ओन दी होल (पूर्णतया कुल मिलाकर) यदि देखा जाय तो यह मानना होगा कि चुनाव, जहां तक सरकारी कर्मचारियों का, सरकारी मशीनरी का ताल्लुक है, निष्पक्ष रूप से सम्पादित किया गया। जहां सरकारी

कर्मचारियों का, सरकारी मशीनरी का, अवान्छनीय तत्वों का, मुकाबला नहीं कर सकें, सरकारी मशीनरी ने, सरकारी अफसरों ने, अपनी तरफ से जहां तक हो सका था, मैं यह मानता हूं, निष्पक्षता से काम किया। एक दो व्यक्तियों की बातें में नहीं कहता । कौन कह सकता है, जहां हजारों व्यक्तियों ने काम किया कि उनमें से सबने पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से काम किया होगा । आम तौर से ज्यादातर सरकारी पक्ष के लोगों ने, सरकारी मशीनरी ने, निष्पक्ष रूप से, दृढता से, मुस्तेदी से, काम किया, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता । इस बात की सराहना हम तो क्या करेंगे; इलेक्शन कमिश्नर ने खुद ने की है उनके प्रशंसा-पत्र हमारे पास मौजूद हैं । जो सर्विसेज से ड्यू है, जितना प्रोत्साहन ड्यू है, मेरे खयाल से उन्हें देना चाहिये। मैं समझता हूं कि विरोधी दल के लिए गौरव की बात होती यदि वे इस बात में सरकार के साथ होते । लेकिन यह भी उनसे नहीं हुआ। उनकी आलोचना ईमानदारी की आलोचना नहीं। अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा बड़ा प्रश्न जिस पर विरोधी दल की ओर से, बहुत जोर दिया गया है, वह है राजस्थान लैन्ड रिफोर्म्स का। जागीरदारी उन्मूलन एक्ट के बारे में मेरे कृषिकार लोक पार्टी के सदस्य ने इस विषय में जो कुछ कहा है वह मुझे ज्यादा सही मालूम देता है। ज्यादा सही इस मायने में कि हमारे यहां जो कानून बने हैं वास्तव में उसमें समस्या का पूरा हल नहीं । वह हल करना होगा और मैं चाहता हूं कि इसमें विरोधी दल का सहयोग हो। कहते तो हैं हमारा सहयोग इसमें रहेगा किन्तु वे कितना सहयोग देते हैं यह तो समय ही बतायेगा।

माननीय अध्यक्ष, मैं छिपाना नहीं चाहता। माननीय सदस्य, जो जागीरदार हैं, उनके अलावा दूसरे माननीय मित्रों ने जो कुछ कहा, उन्होंने जहां इस समस्या के हल की अपूर्णता की ओर संकेत किया वहां उन्होंने स्पष्ट अपनी राय प्रकट नहीं की कि क्या होना चाहिये? कोई स्पष्ट राय देते तो हमें वह ज्यादा बल देती। स्पष्ट राय हमें अब नहीं तो आगे अवश्य मिलेगी---ऐसा आशा है । लेकिन इस विषय पर चर्चा करते हुए मुझे बहुत आश्चर्य इस बात पर हुआ, अध्यक्ष महोदय, कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने एक दूसरे के विरोधी बातें कही हैं। दे आर गोईंग हाट एन्ड कोल्ड बन एन्ड एट दी सेम टाइम (वे एक ही समय एक दूसरे की विरोधी बातें कर रहे हैं) । मेरे माननीय मित्र रावल संग्रामसिंहजी जो कि व्यक्तिशः बहुत प्रशंसा के पात्र हैं और जिनकी कि मैं बहुत इज्जत करता हूं, को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया है। एक तरफ वे कहते हैं कि हम सब लोग सरकार को सहयोग देने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने यह प्रश्न कर डाला कि क्या वे यह सहयोग अपने आपको खत्म करने में देंगे? हमारे माननीय मित्र, विरोधी दल के नेता, ने कहा है कि जागीरदारी एबोलिशन के बारे में हम सहयोग दे सकते हैं, यदि आर्थिक दृष्टि से उस समस्या को हल किया जाय। यदि उसको राजनैतिक ढंग से किया जाता है तो हमारा सहयोग नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब तक मेरे माननीय मित्र जागीदारों के खत्म होने का अर्थ उनके खत्म होने से लेते आये हैं। कोई वर्ग, कोई व्यक्ति, जो इस प्रकार समाज के जीवट लोग हैं, जिनके पीछे कोई इतिहास है, जो भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं,

वे इस प्रकार जागीरदारी प्रथा के खत्म होने से अपने आपको खत्म होना समझ सकते हैं ? उनके मन में यह दुर्बलता क्यों होनी चाहिये ? जो बहादुर लोग हैं, जिनके पीछे बहादुरी का इतिहास है, यदि वे समझते हैं कि जागीरदारी खत्म करने का मतलब यह है कि उनको खत्म किया जा रहा है तो फिर वह सहयोग किस चीज में देंगे ? जो जागीरदारी प्रथा निश्चित रूप से अभिशाप रही है, उस प्रथा को जारी रखने में क्या वह सहयोग देना चाहते हैं ? यदि उनका मतलब यह है तो मैं बहुत आदर से, नम्रता से, कहना चाहता हूं कि मैं उस सहयोग को नमस्कार करता हूं। लेकिन यदि वे और उनके जो भी प्रगतिशील विचारों के साथी हैं, समय की गति को पहचानते हैं, जमाने की बदलती हुई हवा को जानते हैं, तो हमारे देश, हमारे प्रान्त और हमारे राज्य के सार्वजनिक हित की दृष्टि से, उस प्रथा, उस संस्था का, अंत करने के लिए सहमत हों, जिसका अब निश्चित रूप से कोई भी उपयोग नहीं रहा है, जो कि निश्चित रूप से आज के समय के अनुपयुक्त है; (सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि) जिसके कारण सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों किसान दब रहे हैं, बरबाद हो रहे हैं, भूखे नंगे रहते आये हैं और जो आज भी कराह रहे हैं, रो रहे हैं उस प्रथा का अंत करने के लिए, सहयोग देने के लिए, यदि तैयार होंगे तो मैं हर्ष, आदर और आग्रह सहित उनके सहयोग का आवाहन करूंगा, स्वागत करूंगा और उन्हें कोटिशः धन्यवाद भी दूंगा। लेकिन मैं साफ तौर से जानना चाहता हूं कि मेरे मित्र लोग क्या चाहते हैं ? उनका मन्तव्य क्या है ? वे यह भी कहते हैं कि यदि जागीरदारी प्रथा समाप्त हो जाय तो होने दीजिये। इसमें उन्हें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन साथ ही साथ वे यह भी कहते हैं कि हम उनको खत्म करना चाहते हैं तो कैसे सहयोग दे सकते हैं ? सहयोग नहीं देने का मतलब विरोध करना होता है। आज के जमाने में, जहां हम खड़े हुए हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो न सहयोग करने वाले होते हैं और न विरोध करने वाले । बीच की अवस्था में स्थिर रूप से रहने वालों की संख्या बहुत थोड़ी है और ऐसे लोगों के लिए आज भी दुनिया में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं हो सकता । वे दुनिया में कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते । आज की दुनिया में आप किसी भी दशा में तटस्थ नहीं रह सकते हैं । या तो आप सहयोग देंगे या विरोध करेंगे। जो रावल साहब यह कहते हैं कि हम अपने आपको खत्म करने में सहयोग कैसे दे सकते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे इसका विरोध करना चाहते हैं। यदि वे विरोध करना चाहते हैं तो सहयोग की बात कह कर हमें वे बहकाना चाहते हैं। इतने भोले तो हम भी नहीं हैं । इतने भोले नहीं दिखते हैं कि इस प्रकार के भुलावे में, आपके सहयोग की बातों में आ जाएं। आप किसानों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, इसका विरोध कर। क्या अर्थ है उसका जो कि विरोधी दल के माननीय नेता ने इसमें, राजप्रमुख के भाषण में, खास तौर से इस जागीरदारी उन्मूलन कानून को संकेत करते हुए कहा है, "क्या ऐसी बात है जिसके लिए हम राजप्रमुख को धन्यवाद दें ?" क्यों नहीं आप इसके लिए धन्यवाद दें जब कि यह इतना महान कार्य हुआ ? इसके लिए आलोचना की गई है कि सरकार ने इस काम को बहुत जल्दी से, बड़ी मुस्तैदी से रात दिन पीछे पड़ कर किया है । उनकी शब्दावली से ऐसा मालूम होता है कि उनको इस बात से कि सरकार ने मुस्तैदी और

जल्दी से काम किया है, उसके प्रति बड़ा भारी रोष हो। उन्होंने पुनः कहा है, "उसके लिए हमसे उम्मीद की जावे कि राजप्रमुख का जो भाषण हुआ है उस पर धन्यवाद दें तो हमें अफसोस है कि हम तैयार नहीं हैं"। आखिर यह रोष किस लिए है? क्या इस कानून में कोई ऐसी चीज है जिसको कि आप सचमुच हृदय पर हाथ रख कर यह कहें कि यह कानून आज के समय के अनुकूल नहीं है, या इसकी आवश्यकता नहीं? (विचार जारी)

श्री जसवन्तसिंह: -

विधान सभा में नहीं आने का विरोध है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल: ---

यदि यह कानून सही है तो फिर इसको पास करने में जो जल्दी की गई है उसके लिए तो आपको धन्यवाद देना चाहिये, धन्यवाद देने में गुरेज नहीं करना चाहिये।

श्री जसवन्तसिंह: --

विधान सभा में आता तो धन्यवाद देते।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—

(भाषण जारी रखते हुए) मैं यह भी नहीं कहना चाहता था लेकिन मेरे दोस्त ने मेरी मदद की। जो बात मैं कहना चाहता था वह मेरे मित्र ने कही है कि विधान सभा में आता तो धन्यवाद दिया जाता। उन्होंने एक बात और इस सिलसिले में कही। इस जल्दी के सिलसिले में मेरे माननीय मित्र के भाषण में से, अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से कुछ पंक्तियां पढ़ कर फिर दुबारा सुनाना चाहता हूं। वे कहते हैं "राजस्थान भूमि सुधार एक्ट एक खास तौर का इतिहास रखता है। उस इतिहास का चुनाव के साथ बहुत कुछ संबन्ध है"। मैं मानता हूं। माननीय अध्यक्ष, कि इस एक्ट (अधिनियम) का चुनाव के साथ, बहुत गहरा संबन्ध है, और वह गहरा संबन्ध यह है कि हमें यह मालूम था कि हमारे जागीरदार मित्र अपने सारे रिसोर्सेज (संसाधन) को मोबिलाइज (संसज्जन) कर रहे थे इसलिये कि वे धारा सभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और धारा सभा में यदि यह बिल आये तो उसको पास नहीं होने दें। मैं यह मानता हूं कि इस बात में यही मन्शा थी मेरे मित्रों की। इससे मेरा ख्याल है कि वे भी इन्कार नहीं कर सकते हैं। बहस में कुछ भी कह दें, लेकिन मैं, मेरे मित्र जो नाराज हो रहे हैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि हमने क्या जल्दी की? इसी जल्दी के लिए वे अपना हृदय टटोल कर देखें कि उनके अन्तःस्थल में यह चीज थी या नहीं कि किसी तरह से धारा-सभा में पहुंच जाय तो धारा सभा में उसे किसी न किसी प्रकार से पास नहीं होने दें, या कम से कम विलम्ब तो अवश्य करें। यह उनके मन में था या नहीं; दिलों को

टटोलें। मैं भरोसा करता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य अपने दिल को टटोल कर जो कुछ कहेंगे वह सही कहेंगे और जो कुछ वे कह देंगे वह मैं सही मान लूंगा। यदि वे कह दें कि हमारे दिल में यह बात नहीं थी तो मैं मान लूंगा, थोड़ी देर के लिए, लेकिन वे कह नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह सही बात है, क्योंकि उनके दिलों में यह बात थी। फिर हमने क्या गुनाह किया इस बात में जब कि हम जानते थे कि हमारे जागीरदार मित्रों के पास विपुल साधन हैं, बड़ी धनराशि है, बहुत अंशों में शासन उनके हाथ में हैं, उनके छोटे छोटे इलाकों में उनकी बडी सत्ता है, और वह सबका उपयोग करेंगे। उन्होंने उनका उपयोग किया भी है; यह भी हम जानते हैं। उचित उपयोग नहीं किया और उचित के अलावा और भी क्या किया; यह भी हम जानते हैं।

हम यह मानते थे कि हम लोग बहुमत में आयेंगे। हम यह भी जानते थे कि विरोधी लोग भी अच्छी संख्या में आयेंगे, इसलिये हमारे यह मन में था कि यहां धारा-सभा बने उससे पहले पहले इस एक्ट को पास करवालें। आप से सब बातें साफ साफ कहना चाहता हूं। मैं कोई बात छिपाना नहीं चाहता हूं और छिपाने लायक कोई चीज है भी नहीं। यह ईमानदारी की बात है। हम जानते थे कि यदि इसे विधान सभा के सामने रखा गया तो यह रुक तो नहीं सकेगा, लेकिन देरी करने की कोशिश की जायगी। मैं यह जिम्मेदारी लेता हूं कि यह सारी जल्दी मैंने जान बूझ कर की। लेकिन यह तो आप को मानना पड़ेगा कि जल्दी करने पर भी एक शुभ काम तो हुआ ही है। मैं आप से पूछूंगा कि आखिर जल्दी में हुआ, विधान सभा के आने से पहले हुआ और आपकी इच्छा के अनुकूल नहीं हुआ; पर जैसा तैसा भी हुआ—काम तो हुआ है ही। यहतो आप मानते ही हैं। (करतल ध्वनि) क्योंकि अगर यह काम शुभ हुआ है और इस काम में जिस महाशय ने हमको सहायता और सहयोग दिया है तो मैं पूछूंगा कि आप राजप्रमुख को धन्यवाद क्यों नहीं देते?

श्री जसवन्तसिंह:—

अनडेमोक्रेटिक (अप्रजातान्त्रिक) ढंग से हुआ है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—

आई विल नोट युज दीज वर्डस अगेन (मैं इन शब्दों को पुनः प्रयोग में नहीं लाऊंगा)। विरोधी पक्ष के उपनेता श्री इन्द्रनाथ मोदी ने अपने भाषण के दौरान में अंग्रेजी में कुछ हवाला दिया था। स्प्रिचुअल (आध्यात्मिक) जैसी कोई चीज कही थी। मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है कि जो डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) की दुहाई देते हैं और अनडेमोक्रेटिक (अप्रजातान्त्रिक) ढंग पर काम करने पर नाराजगी भी प्रकट करते हैं, लेकिन असल में वे खुद डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) को बहुत दूर रखना चाहते हैं (हीअर हीअर) अध्यक्ष महोदय, मैं एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं स्पोटिंग ओफर करना चाहता हूं। मैं, मेरे माननीय मित्रों के भाषणों से और जो कुछ

बीव बीच में अभी फरमा रहे हैं उससे यह स्पष्ट समझना चाहता हूं कि यदि डेमोक्रेटिक ढंग से विधान सभा में यह बिल आता तो शायद वे इसका स्वागत करते और यदि यही उनका आशय है या यही उनकी मंशा थी तो पहले से मैं मान लेता हूं कि वे जरूर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक (प्रगामी प्रजातान्त्रिक) हैं और हमारी जल्दबाजी अनडेमोक्रेटिक (अप्रजातान्त्रिक) है, लेकिन फिर भी मैं उनके दिल की जो भावना है उसके अनुसार उनको इसे कार्यान्वित करने के लिए एक दूसरा अवसर देना चाहता हूं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वे यदि इसका स्वागत करते हैं तो मेरा जो कहना है वह यह है कि इस एक्ट (अधिनियम) में कई कारणों से कुछ कमियां रह गई हैं उनका संशोधन करने के लिये, यदि मेरे लायक मित्र तैयार हैं तो दोनों दल मिल कर सहयोग से इसको सुधार लें। मैं बतलाऊंगा कि इसमें क्या कमी है जिसका संशोधन आप की सहायता व सहयोग से हो सकता है और बहुत जल्दी हो सकता है । इसका हम बहुत स्वागत करेंगे। इसके लिये हम आपके बहुत कृतज्ञ रहेंगे । लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि आपने और कई मेरे माननीय मित्रों ने कहा है कि इस एक्ट (अधिनियम) को पास करने में इतनी जल्दी की गई है कि हमारी एक भी बात नहीं सुनी गई। लेकिन मैं बहुत नम्रता के साथ-- (भाषण जारी)

श्री जसवन्तसिंह:—

मैं माफी चाहता हूं। जो कुछ मैंने कहा था वह है स्वेच्छाचारिता, अन्याय और धांधली का ऐतराज। धारा सभा के बिना ही पास कर लिया तो ऐतराज उठेगा ही। इस संबन्ध में हमारी एक बात भी नहीं सुनी गई । यह एक फिक्रा है उसे मैं यहां कहूंगा और मुझे हर्ष है कि मेरे मित्र इन शब्दों को वापिस लेने के लिये तैयार हैं। हमने आपस में जो बातें की वे नहीं सुनी गईं । इससे यह तात्पर्य था कि विधान सभा में लेने के लिये आप तैयार नहीं थे, यह मेरा मतलब नहीं था। लेकिन इस बारे में महीनों तक बातें हुई हैं । हमने जो कुछ आपसे कहा आपने सुना।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—

यही मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्योंकि एक से अधिक बार और एक से अधिक लोगों से बातें हुई। उनमें से बहुत से सदस्यों को मैं यहां भी देख रहा हूं । उनसे मंत्रणा, सलाह और विचार-विमर्श हुए । विचारों का आदान-प्रदान हुआ। गर्मी से हुआ, नर्मी से हुआ, लेकिन हुआ दिल खोल कर । माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं हुआ कि केवल विचारों का आदान प्रदान होकर रह गया हो; इस मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य का हमने निर्णय किया । हमारे कुछ मित्रों की सलाह से, इसको कोई डिनाई (मना) नहीं कर सकता। मेरा मतलब है मुआवजे की दर से। यदि आपने ओरिजनल बिल (मूल विधेयक) को देखा होगा तो शुरू में हमने नेट इन्कम (शुद्ध-आय) के सात गुना मुआवजे का प्रस्ताव रखा था। लेकिन इसके बाद में, नाम नहीं बताना चाहता, कुछ मित्रों

के साथ, जिन्हें हम मानते हैं कि वे जागीरदारों में प्रतिष्ठित लोग हैं, और जो जागीरदारों के दृष्टिकोण को जिम्मेदारी के साथ बता सकते हैं, कॉन्टेक्ट करने व उनसे बात करने की कोशिश की उन्होंने हमें यह सुझाया कि मुआवजा सात गुना से बढ़ा कर दस गुना कर दिया जावे तो उचित और न्याय पूर्ण माना जा सकता है। हमने उस चीज को मंजूर किया और मुआवजा बढ़ा दिया। इस चीज के बारे में यदि कोई शिकायत किसी को होती है तो मेरे इस तरफ बैठने वाले दोस्तों को हो सकती है क्योंकि यहां हमने मुआवजे की रकम अन्य प्रान्तों की अपेक्षा ज्यादा कर दी है। यहां हमने मुआवजा ज्यादा दिया और फिर भी इसके उपलक्ष में राजप्रमुख को आप धन्यवाद नहीं देना चाहते। इस भाषण में एक भी बात ऐसी नहीं है जिससे कि राजप्रमुख को धन्यवाद नहीं दिया जाय। जिस राजप्रमुख की सहायता से यह कानून बना, जिसमें उतना मुआवजा दिया गया जितना और किसी जगह नहीं दिया गया, उन राजप्रमुख को धन्यवाद देने की एक भी बात अगर आप.......

श्री जसवन्तसिंह:--

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई जगह मुआवजे की रकम ज्यादा भी दी गई है जैसे सौराष्ट्र, हैदराबाद।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—

नहीं दूसरी जगह मुआवजे की रकम ज्यादा नहीं दी जाती है। मैंने इसका हिसाब लगा कर देखा है; लेकिन यहां उनसे ज्यादा है। सौराष्ट्र में मुआवजा यहां से ज्यादा नहीं है और कई जगह यहां से कम है। मध्य भारत हमारी पड़ोसी रियासत जहां की स्थिति हमारे जैसी ही है, वहां के और यहां के जागीरदारों में सबसे अधिक मंत्रणा रही है। वहां की स्थिति बिल्कुल हमारे जैसी है, परन्तु वहां मुआवजा ज्यादा नहीं दिया गया है। मुआवजा ज्यादा देने की शिकायत इधर हमारी पार्टी वालों को तो फिर भी हो सकती है लेकिन उधर की ओर (सामने की तरफ इशारा करके) वाले राजप्रमुख महोदय के लिए गुरेज करें--यह बात मेरी समझ में नहीं आती। जो आलोचना सरकार व राजप्रमुख के भाषण पर हुई वह सही आलोचना नहीं है। जिस तरह से आलोचनाएं हुईं वे सही आलोचनाएं नहीं है। वे आलोचनाएं आलोचनाओं के लिए की गईं तथ्यों की वास्तविकता को सामने रख कर आलोचनाएं नहीं की गईं। और सही बात पर, अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ टैस्ट रखना चाहता हूं; मेरे मित्रों के सामने। यदि मेरे मित्रों को इसमें कोई कानूनी शिकायत हो कि वह धारा-सभा के सामने नहीं आया और यदि वह धारा सभा के सामने आता तो सहयोग से सब लोग मिल कर उसे पास कराने में मदद करते तो मैं अब भी उनका सहयोग चाहता हूं। जो मुआवजा ज्यादा हो गया है उसको अपने दूसरे पड़ोसी प्रान्तों के आधार पर ले आवें और इसको पास करदें। यदि मुझे यह आश्वासन मिले, विरोधी दल की ओर से, तो मैं समझूंगा कि उनके इस कथन में सत्यता है और वे इसे पूर्ण सहयोग के साथ निर्णय करवाना चाहते

हैं। पर उनका यह कथन कि अगर आर्थिक दृष्टिकोण से इसे किया जाता है तो वे सहयोग करेंगे और राजनैतिक दृष्टिकोण से किया जाता है तो वे विरोध करेंगे। मैं स्पोर्टली आफर करता हूं कि आप इस चीज को स्वीकार करें कि आप दस गुना के बजाय ७ गुना का संशोधन पास कर देंगे। इसके बदले में आप जो राजनैतिक सुविधा मुझ से चाहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। अगर आप कहेंगे कि हमें सरकार बनाने दो तो भी मैं आपको सहयोग दूंगा। मैं आपके लिए जगह खाली कर दूंगा। (करतल ध्वनि) मैं अपने साथियों को भी राजी कर लूंगा। यदि यह चीज नहीं है तो फिर यह लुका–छिपी किसलिए? साफ साफ एक दूसरे की स्थिति को समझना चाहिए। खैर, तो मैं समझता हूं कि सदन के किसी भी भाग में कोई शंका नहीं हो सकती इस प्रश्न पर कि आपका दृष्टिकोण क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, दूसरे लोगों का दृष्टिकोण क्या है? मैं समझता हूं कि कोई शंका की इसमें बात नहीं रह जाती है और कोई गोलमाल बात करने से मेरे ख्याल से हम दूसरों को भुलावे में नहीं डाल सकते। न हम उनको भुलावे में डाल सकते हैं और न वे ही हमें भुलावे में डाल सकते हैं। यहां सैद्धान्तिक और असल रूप में आर्थिक हितों का प्रश्न है। असल रूप में एक तरफ तो आपके आर्थिक हित हैं और दूसरी ओर असंख्य किसान, असंख्य जन साधारण हैं। कुछ लोगों के बड़े बड़े अधिकार हैं और दूसरी ओर साधारण जनता के अधिकार हैं, हित हैं और इसलिये कुछ संघर्ष हो रहा है। यदि संघर्ष को हम पहचान लें, यह पहचान लें कि यह समय की मांग है और इसे ठीक २ तरह से बैठाना होगा। यदि राजी से नहीं बैठा सकें तो वह किसी भी तरह से, संघर्ष से, नाराजगी से सही, लेकिन वह चीज होकर रहेगी, समय की मांग है। यह हमारा प्रान्त राजस्थान, भारत के दूसरे प्रान्तों से, इस दशा में, इस प्रश्न पर अलग नहीं रह सकता। यदि जमींदारी, जागीरदारी यू० पी० में नहीं रह सकती, बिहार में नहीं रह सकती, मद्रास में नहीं रह सकती, मध्य भारत में नहीं रह सकती, सौराष्ट्र में नहीं रह सकती तो फिर राजस्थान में कैसे रह सकती है? यह कैसे हो सकता है? भारत की बात ही क्यों, जो चीज संसार में नहीं रह सकती, चीन में नहीं रह सकती, जापान में नहीं रह सकती, फ्रान्स और रूस में नहीं रह सकती वह हिन्दुस्तान में कैसे रह सकती है? इन तथ्यों को मेरे ख्याल से हमको समझना चाहिये और मैं यह आशा करता हूं, अध्यक्ष महोदय कि वे इसे समझेंगे। मेरे विरोधी दल के माननीय सदस्यों के स्वार्थ, उनके हित, सीधी तौर से टकराते हैं––आज के समय की गति से। लेकिन फिर भी बुद्धिमान लोगों की भांति वे इस चीज को पहचानें। केवल इसीलिए कि कांग्रेस सरकार ने ऐसा काम किया है जो संसार की दृष्टि में, देश की दृष्टि में और जन साधारण की दृष्टि में निश्चित रूप से शासन के हित का है, प्राकृतिक है, न्याय का है। वे कांग्रेस सरकार का विरोध करने लग जायं––तो यह शोभा नहीं देता। मैं तो यह चाहता हूं कि हमारे आपके बहुत से काम इस सदन में हो जायं, कटुता खत्म हो जाय। मैं नहीं जानता कि इसमें आपका कितना सहयोग मिलेगा। यह तो समय बतलायेगा कि किस प्रकार का हमारा और आपका इस सदन में व्यवहार होता है? इस विषय पर, अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा।

दूसरा एक और महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर काफी बात चीत हुई तथा बहुत जोर डाला गया और असल में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है भी जोर देने के लायक। वह प्रश्न है हमारे प्रान्त में लॉ एन्ड ऑर्डर (कानून तथा व्यवस्था) का। अध्यक्ष महोदय, यह कोई छिपाने की बात नहीं है और छुप सकती भी नहीं कि पिछले कुछ दिनों से लॉ एन्ड ऑर्डर (कानून तथा व्यवस्था) की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यद्यपि मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि सरकार उसको सुधारने के लिए निश्चित कदम उठा रही है और सुधार दृष्टिगोचर भी हो रहा है--आगे के लिए, लेकिन फिर भी इस विषय में जितनी चिन्ता सदन में प्रकट की गई है उस चिन्ता के साथ मैं भी सहमत हूं । मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि आपसे कहीं ज्यादा चिन्ता मुझे इस संबन्ध में है। लेकिन मैं इस विषय में इससे ज्यादा लम्बे विवेचन में नहीं जाऊंगा । उचित भी नहीं होगा, अधिक इस समय इस संबन्ध में जाना। स्थिति संतोष-जनक नहीं है। सरकार उसको सुधारने का प्रयत्न कर रही है और अधिक प्रयत्न करना चाहती है। लेकिन मैं एक बात कहे बिना नहीं रहूंगा। मुझे ऐसा भी लगा किसी दृष्टि से, किसी ऐसी दृष्टि से भी कि सरकार पर नाराजगी प्रकट की गई, जिस दृष्टि से नाराजगी प्रकट करने का शायद अवसर न मिले। फिर भी मेरे माननीय मित्र ने यह कहा है कि पिछले दिनों के लॉ एन्ड आर्डर (कानून तथा व्यवस्था) के संबन्ध में जो घटनाएं हुइ हैं, किन लोगों की उसमें जिम्मेदारी है उसके विवेचन में बहुत ज्यादा जाना मेरा ख्याल है इस समय ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी प्रश्न यह आया है कि हम जो, किसी गलत भावना से, किसी विशेष वर्ग पर उसकी जिम्मेदारी थोप रहे हों--ऐसी बात नहीं है। किसी विशेष वर्ग के लिये नहीं कहना चाहिये लेकिन जो लोग, चाहे वे कितने भी प्रतिष्ठित, प्रतिवादी वर्ग के लोग हों, जो लोग कानून और व्यवस्था की स्थिति को खराब करने में छुपे तौर पर या कभी कभी खुले तौर पर कार्य-वाही कर रहे हैं वे लोग हमसे छुपे नहीं है और यह कहने से वे इससे अलग नहीं हो जाते हैं कि किसी विशेष वर्ग पर झूठा आरोप लगाया जाता है । वे तो गिनाये जा सकते हैं कि कौन कोन वर्ग के किन किन लोगों ने इस प्रकार की कार्यवाही में हिस्सा लिया ? लेकिन उनके विषय में यहां यह कहना रुचिकर नहीं होगा। मेरे विरोधी दल के मित्रों ने इस संबन्ध में जो आश्वासन दिया है मैं उस आश्वासन पर अपने माननीय मित्र का ध्यान पुनः दिलाना चाहता हूं और उनके आश्वासन को लेकर चलना चाहता हूं । उन्होंने कहा है कि लॉ एन्ड आर्डर (कानून और व्यवस्था) के बारे में गवर्नमेन्ट को सहयोग देंगे। मैं उनके आश्वासन का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि वे हमेशा इस कार्य में सरकार को सहयोग देंगे।

श्री जसवन्तसिंहः-

हम हमेशा सहयोग देंगे।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः--

एक चीज जो थोड़ी सी मुझे खटकी है, उस बारे में भी मुझे यदि स्पष्ट

आश्वासन मिलता तो मुझे ज्यादा संतोष होता। मेरा ख्याल है कि सदन के अन्दर मेरे एक विरोधी दल के मित्र ने कहा है "मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि न्याय और व्यवस्था के विरुद्ध अगर कोई भी कार्यवाही करें तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिये" । यह बिल्कुल ठीक चीज है। हम विरोधी दल के मित्र के कथन को स्वीकार करते हैं। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि सौराष्ट्र में जो कानून और व्यवस्था को भंग करने वाले व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही सौराष्ट्र की सरकार कर रही है उनको चाहे जैसी सजा मिले हमारी उसमें कोई सहानुभूति नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि और अधिक अच्छा होता यदि वे यह भी कहते कि सौराष्ट्र और राजस्थान में ऐसे लॉ एन्ड ऑर्डर (कानून तथा व्यवस्था) को भंग करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिये। मैं समझता हूं कि उनका यह कहने का मतलब राजस्थान से भी होगा । शायद गलती से राजस्थान छूट गया होगा।

श्री जसवन्तसिंह:--

मैं तो इससे भी ज्यादा कहना चाहता हूं। मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि अगर कहीं भी राजस्थान में हम लोगों के बाप, भाई व दूसरे रिस्तेदार भी अगर शामिल होंगे तो हम उनको भी फांसी पर चढ़ाने को तैयार रहेंगे।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--

मैं अपने माननीय मित्र को इस आश्वासन के लिए धन्यवाद देता हूं । मेरा ख्याल है कि समय दूर नहीं है जब कि हम देखेंगे कि सरकार लॉ एन्ड ऑर्डर की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठायेगी; मजबूती से उठावेगी। उसको ठीक करने के प्रयत्न किये जावेंगे। इसके लिए हम अपने आपको उस समय अधिक दृढ पावेंगे। इससे अधिक मैं और नहीं कहना चाहता । केवल मैं यही कहूंगा कि जैसे मैंने, माननीय अध्यक्ष, अपने इस थोड़े से विवेचन से इस सदन के सामने यह सब बातें रखने का प्रयत्न किया है, मगर जो आलोचनाएं की गई हैं उनके संबन्ध में मैं यह कहूंगा कि उनमें तथ्यों की आलोचना कम है और आलोचनाएं केवल आलोचना के लिए ही की गई हैं । मैंने यह निवेदन किया कि अलग अलग विभागों के संबन्ध में कौन कह सकता है कि उनमें खामी नहीं रही हो। कौनसी ऐसी सरकार है जिसमें कमी नहीं है । मौजूदा सरकार ने अभी तो काम शुरू किया है। इससे पहले जो भी सरकार थी उसका कार्य-काल आठ दस महिनों का रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि राजप्रमुख को धन्यवाद देने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

एक चीज मैं आपके सामने वह कहना चाहता हूं जिससे मुझे बड़ी निराशा हुई। जिस दिन मेरे माननीय मित्रों का भाषण हुआ दुर्भाग्य से थोड़ी देर के लिए मैं बाहर चला गया था और थोड़ी देरी से आया। फिर भी जो कुछ भी मैंने सुना उसके आधार पर मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि उस दिन पहले पहल जो आपके शब्द सुने, वे थे सिरोही के बारे में । वे बहुत जोश के साथ और

बड़ी फीलिंग के साथ कहे गये थे। मेरे मित्र कह रहे थे कि राजस्थान सरकार सिरोही के बारे में कुछ नहीं करती है, आबू के बारे में कुछ नहीं करती है। अध्यक्ष महोदय, यही बात यदि विरोधी दल के नेता न कह कर कोई दूसरे माननीय सदस्य कहते तो मुझे कोई अफशोस नहीं होता और मैं उन्हें वास्तविक तथ्य बता कर संतुष्ट करता। लेकिन विरोधी दल के नेता पिछली सरकार में मेरे साथी थे और उनको यह मालूम है कि हमने व उन्होंने मिल कर सरकार की तरफ से कुछ कार्यवाही की थी। हमारी केबिनेट ने रेजोल्यूशन (संकल्प) पास किया जिसको मेरे माननीय मित्र इतना जल्दी भूल नहीं सकते। सदन का ऐसा वातावरण भी नहीं है कि कोई आदमी इतनी जल्दी इतनी ताजा चीज को भूल जाय। मैं नहीं समझता कि कोई आदमी इतनी जल्दी ऐसी चीज को भूल जाए। इसको जानते हुए कि मेरे माननीय मित्र पार्लियामेन्ट के सदस्य रहे हैं और उन्होंने वहां देखा है कि पिछली सरकार के मेरे चीफ, श्री जयनारायण व्यास, ने पार्लियामेन्ट में कितनी मुस्तैदी, मजबूती और कडाई से इस प्रश्न को उठाया था। उनको यह बात भी मालूम है कि प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी ने भी इसके विषय में कुछ किया है। यह सब कुछ होते भी, कम से कम सरकार के प्रस्ताव में वे भी शामिल थे, यह सब कुछ जानते हुए भी मेरे मित्र यह कह गए, आसानी से, कि राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं किया। यह नहीं होना चाहिए। मुझे अफशोस है कि उन्होंने मेरे साथ, यह कह कर कि इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, न्याय नहीं किया। यह आप जानते हैं कि हम इस संबन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं। हमें खुशी है कि इसमें आपका सहयोग भी हमें प्राप्त है। खैर, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि राजस्थान सरकार अभी तक इसके लिए सजग है, रही है और आगे भी रहेगी। इसको छोड़ना नहीं चाहती। (हर्ष ध्वनि) दोनों दलों की ओर से हम, भारत सरकार और बंबई सरकार के साथ, इसके लिए लड़ना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि इस विषय में विरोधी दल के किसी महोदय को जितनी चिन्ता हो सकती है उससे कम हम में से किसी को नहीं हो रही है।

मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार अब तक इस विषय में संजीदा रही है। अब भी इस विषय को छोड़ना नहीं चाहती। हम भारत सरकार से लड़ना चाहते हैं, हम बंबई सरकार से लड़ना चाहते हैं तथा शक्तिभर प्रयत्न करना चाहते हैं--आबू को लेने के लिए। इस विषय में कितने विरोधी पक्ष के माननीय नेता चाहते हैं, हो सकता है उससे कम तो इधर भी नहीं चाहते होंगे।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं एग्रिकलचर टैक्स (कृषि कर) के बारे में। कृषि कर के बारे में विरोधी पक्ष की ओर से कहा गया है कि यह गरीब किसानों पर बोझा है। उस दल के नेता मेरे साथ सरकार में सहयोगी थे। उस कृषि आय कर का जब ड्राफ्ट (मसविदा) तैयार किया गया तो उसका ड्राफ्ट करने में उनका भी हाथ रहा है। उन्होंने इसका अध्ययन भी किया होगा। वे जानते हैं कि कृषि आय कर का बोझा किसानों पर नहीं पड़ने वाला है। कृषि योग्य भूमि पर लगान की आमदनी वसूल कर रहे हैं। उस लगान की आमदनी पर

लगान लेने वाले पर असर पड़ता है। किसानों पर इसका एक पाई भी असर नहीं पड़ेगा। इन चीजों से स्पष्ट है कि इस ढंग से किसान उनके बहकावे में आ जायं यह पोलिटिकल ओनेस्टी (राजनैतिक ईमानदारी) नहीं। किन्तु पोलिटिकल ओनेस्टी हमें रखना होगा। आलोचना ठीक है लेकिन तथ्य सर्वथा विपरीत नहीं रखे जायं। मेंढक ही सही लेकिन सचाई के साथ कह सकते हैं। मुझे दुनियां का ज्यादा ज्ञान नहीं होगा; किन्तु जितना मालूम है उससे सचाई स्पष्टतया रखना चाहता हूं। बाहरी दुनियां में नहीं गया तो तोड़ मरोड़ कर चीजों को रखना भी तो नहीं सीखा। इसमें मुझे खुशी है।

शिक्षा के बारे में कहा गया है कि शिक्षा पार्टी बाजी से ऊपर नहीं उठ रही है। हमारी तरफ से शिक्षा को सर्वदा पार्टी बाजी से ऊपर रखा गया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ऐसी कार्यवाही हमारी तरफ से नहीं की गई। मुझे बताया गया है और उदाहरण दिया गया है कि एक छात्रावास के विद्यार्थियों का राजनैतिक उपयोग किया गया। ऐसा उपयोग हमारी ओर से कभी नहीं किया गया। जोधपुर में एक विद्यालय है; चौपासनी हाई स्कूल। वहां के विद्यार्थियों का भी कुछ इसी तरह समय समय पर उपयोग किया जाता है। मैं नहीं जानता कि एक भी शिक्षण संस्था का उदाहरण दिया जा सकता है जिसका हमने उपयोग किया हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांच के भवन में रह कर दूसरों पर पत्थर न फेंके---तो अच्छा है।

मैं इतना निवेदन करने के बाद, अध्यक्ष महोदय, फिर सदस्यों से एक बार प्रार्थना करना चाहता हूं, आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, राजप्रमुख के अभिभाषण में वाद-विवाद हुआ, आलोचनाएं हुई और उनमें कई बातें सही थीं, कुछ बातें तोड़ मरोड़ कर रखी गई थीं। भाषण में बहुत महत्वपूर्ण और तथ्य-पूर्ण बातें आपके सामने आयीं, वास्तव में जिनकी उपयोगिता, जिनके महत्व से मैं इन्कार नहीं कर सकता। यदि मैं यह मानता हूं कि इसमें कई चीजें रह गई तो इसके साथ यह भी मैं मानता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी भाषण, किसी भी भाषण में, सारी की सारी चीजों का समावेश नहीं हो सकता। मैंने ऐसा कोई भाषण नहीं देखा, न पढ़ा, आपने भी नहीं पढा होगा, जिसके बारे में कहा जा सके कि उसमें कोई चीज बाकी नहीं रही। मेरे सामने किसी भी भाषण को ला कर रख दीजिये, उसमें भी मैं कह सकता हूं कि बहुत सी बातें छूटी हुई मिलेंगी। कमियें ढूंढने का काम कोई कठिन काम नहीं। इस प्रकार की कमी आप बता सकते हैं। सब, कुल मिला कर देखेंगे, तो पिछले वर्ष की कार्यवाही का एक अच्छा खासा, सच्चा और सही तथा बहुत हद तक पूर्ण विवरण राजप्रमुख के अभिभाषण में है और आगे के लिए सही दिशा उसमें अंकित है। ऐसी दशा में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको ग्रेस के साथ, एक सही परम्परा डालने की दृष्टि से, सर्वसम्मति से, इस भाषण के लिए श्रीमन् राजप्रमुख को धन्यवाद देना चाहिये, इसका समर्थन करना चाहिये। ऐसे विषय में मैं चाहता हूं कि मत-विभाजन न हो। इसका अर्थ यह नहीं, अध्यक्ष महोदय, कि मैं मत विभाजन से डरता हूं। इसका डर नहीं अगर विभाजन होगा तो ठीक है; उसका भी स्वागत किया जायगा। लेकिन यह एक अच्छी

परम्परा नहीं होगी। वह हमारी सुरुचि का प्रमाण नहीं होगा। हम ऐसे अवसर पर राजप्रमुख को सब मिल कर एक मत से धन्यवाद नहीं दे सकते तो खास तौर पर उस वक्त के लिए और उन माननीय मित्रों के लिए यह उचित नहीं होगा जो अपने आपको शासक के प्रति पूरा वफादारी कहते आ रहे हैं क्योंकि आखिरकार राजप्रमुख इस विशाल राजस्थान के जितने राजा थे उनके राज्य के जितने शासक थे, महाराजा थे, उन सब के प्रतिनिधि के रूप में, पिछले तीन वर्षों में जैसा भी शासन कार्य हुआ उनके केवल वे, राजप्रमुख ही, उत्तरदायी थे क्योंकि न तो वे किसी धारा सभा के प्रति और न किसी संस्था के प्रति, उत्तरदायी थे। ऐसी दशा में विभिन्न रियासतों के शासकों, महाराजाओं, के प्रतिनिधि जो राजप्रमुख रहे उनकी ओर से जो उन्होंने शासन चलाया उस शासन के प्रति पूरी वफादारी मेरे माननीय मित्रों की होनी चाहिये जो उनकी अपने अपने शासक के प्रति थी। केवल इसलिये कि वे सब के प्रतिनिधि थे उस वफादारी में कमी नहीं आनी चाहिये। मत-विभाजन से यह प्रकट होगा कि वफादारी की कमी है। आप यदि यह सोचेंगे कि राजप्रमुख ने जागीरदारी एबोलिशन बिल पर सहमति दे दी है तो इस प्रकार की बातों से यदि आपकी वफादारी में कमी नजर आ जाय तो, मैं समझता हूं कि जो होने वाला था वह हो गया, आप अब सुरुचि का परिचय क्यों नहीं देते ? मैं मित्रों को सलाह दूंगा कि यह एक अच्छा कार्य नहीं होगा कि इसके लिए मत विभाजन हो। मत विभाजन से हम डरते नहीं। मत विभाजन से कब तक डरेंगे। इस विषय पर नहीं हुआ तो किसी दूसरे विषय में होगा। जब हम जनतंत्रात्मक संस्था में आकर बैठे हैं तो हमें मत विभाजन से डरना नहीं है। यह काम अच्छे ढंग से सुरुचि से करें। कोई काम सर्वसम्मति से हम कर डालें, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस चीज को सर्वसम्मति से पास किया जाय। अगर विरोधी दल के नेता और उनके साथियों का मत-विभाजन का आग्रह हो तो उन सब माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे सोच समझ कर इस कार्य को करें। ऐसे मामलों में निश्चित रूप से सरकार का साथ दें—विरोधी पक्ष का नहीं।

माननीय अध्यक्ष:—

प्रश्न यह है कि:—

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्यगण, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के लिए जो कि उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

सदन के सामने अब और कोई कार्य नहीं है। आज का कार्य समाप्त हुआ।

अब सदन की बैठक सोमवार, दिनांक ७ अप्रेल, १९५२, ई० प्रातःकाल ८–३० बजे तक के लिये स्थगित की जाती है। जिसमें बजट (आय–व्ययक) के ऊपर विचार किया जायगा और वित्त मंत्री अपना भाषण देंगे।

(इसके पश्चात् सदन ११–३० बजे सोमवार, दिनांक ७ अप्रेल, १९५२ ई० के प्रातः काल ८–३० बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

मन्साराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

जयपुर
४ अप्रेल सन्, १९५२